भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए

05 MAY 2000

संघ सरकार
(अप्रत्यक्षकर - सीमाशुल्क)
2000 की संख्या 10

विषय सूची

	अध्याय	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां		iii
विहंगावलोकन		v
प्राप्तियों का विश्लेषण	1	1
निर्यात विकास पूंजीगत माल योजना	2	8
अवमूल्यांकन के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	3	27
गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण	4	29
छूट के गलत प्रदान किए जाने के कारण कम उद्ग्रहण	5	31
अतिरिक्त शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	6	36
विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण	7	39
शुल्क छूट योजना	8	42
ध्यान देने योग्य अन्य विषय	9	49

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए यह रिपोर्ट, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अनुसार भारत संघ की सीमाशुल्क प्राप्तियों की लेखापरीक्षा पर आधारित है, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गयी है।

रिपोर्ट में उल्लेख किए गए मामले उन मामलों में से हैं जो 1998-99 के दौरान लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए और जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए परन्तु जिनको पहले सूचित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक समीक्षा तथा 231 पैराग्राफ शामिल हैं जिनमें 768.49 करोड़ रूपए के सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण अंतर्ग्रस्त है। प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का नीचे उल्लेख किया गया है:

I. सामान्य

1998-99 के दौरान सीमाशुल्क से संगृहीत 38,278 करोड़ रूपए की निवल प्राप्तियां बजट अनुमानों से 20 प्रतिशत और संशोधित अनुमानों से 10 प्रतिशत कम रह गईं।

(पैराग्राफ 1.1)

वर्ष के दौरान निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत छोड़े गये शुल्क की कुल राशि 15492 करोड़ रूपए थी जो कुल सीमाशुल्क प्राप्तियों का 40 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ 1.5)

II. निर्यात विकास पूंजीगत माल (ई पी सी जी) योजना की समीक्षा

उन लाइसेंसों, जहां निर्यात बाध्यता अवधि समाप्त हो चुकी थी अर्थात् जो 1990-91 से 1993-94 तक के दौरान जारी किए गए, के संबंध में ई पी सी जी योजना के व्यापक मूल्यांकन से पता चला कि:

- सम्पूर्ण स्तर पर 2932 लाइसेंस अप्रैल 1998 तक प्राप्त किए जाने वाली कुल निर्यात बाध्यता का केवल 77 प्रतिशत प्राप्त कर सके। इससे 247 करोड़ रूपए की सीमाशुल्क छूटें अनुत्पादक हो गईं।

(पैराग्राफ 2.5)

- वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात बाध्यता की अवधि को मार्च 2001 तक बढ़ाकर सभी दोषी फर्मों के लिए एक व्यापक क्षमादान अप्रैल 1999 में अधिसूचित किया यद्यपि विधि मंत्रालय ने ऐसी प्रतिक्रिया को गौण विधि निर्माण की सीमा से परे माना। वित्त मंत्रालय ने अभी तक कोई तदनुरूपी सीमाशुल्क अधिसूचना जारी नहीं की है और शुल्क तथा ब्याज की वसूली के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

(पैराग्राफ 2.6)

- लाइसेंस/सीमाशुल्क प्राधिकारी 109 दोषी लाइसेंसधारकों से 355.90 करोड़ रूपए के कुल प्राप्य वसूल करने में असफल रहे।

(पैराग्राफ 2.7)

- 20 लाइसेंसधारियों, जिन्होंने निर्यात बाध्यता पूरी करना सूचित किया था, के कुछ निर्यात परेषण ऐसी गणना में लिए जाने के पात्र नहीं थे। इन लाइसेंसधारियों से 9.20 करोड़ रूपए का सीमाशुल्क और 12.13 करोड़ रूपए का ब्याज वसूली योग्य थे।

(पैराग्राफ 2.8)

- 2 निर्यातकों/लाइसेंसधारकों के गलत निर्यात विवरणों का पता लगाने में लाइसेंस प्राधिकारी की विफलता के कारण लाइसेंसधारकों से 11.28 करोड़ रूपए के सीमाशुल्क और 16.64 करोड़ रूपए के ब्याज की वसूली नहीं हुई। इन यूनिटों पर 113.48 करोड़ रूपए की शास्ति भी लगाई जानी थी।

(पैराग्राफ 2.9)

- 3 मामलों में औसत निष्पादन के गलत निर्धारण से निर्यात बाध्यता पूरी करने का दावा करने में निर्यातक समर्थ हुए हालांकि केवल आंशिक निर्यात बाध्यता पूरी की गई थी। 1.47 करोड़ रूपए का शुल्क और ब्याज वसूली योग्य था। इनमें से 2 मामलों में लाइसेंसधारकों द्वारा गत निष्पादन की गलत घोषणा के कारण गलत नियतन हुआ था। उन पर शास्तिक कार्रवाई भी की जानी थी।

(पैराग्राफ 2.10)

- नीति के प्रतिकूल एक लाइसेंसधारी को आयातित पूंजीगत माल से विनिर्मित न किए गए उत्पादों के निर्यात द्वारा अतिरिक्त देयता पूरी करने के लिए अनुमति दी गई थी। शुल्क छूट और ब्याज के कारण 12.84 करोड़ रूपए वसूली योग्य थे।

(पैराग्राफ 2.11)

- 3 मामलों में शुल्क छूट लाइसेंस जारी करने से पूर्व आयतित पूंजीगत माल को दी गई थी। शुल्क तथा ब्याज के कारण 1.99 करोड़ रूपए वसूल किये जाने हैं।

(पैराग्राफ 2.12)

- बैंक गारंटी का नवीकरण सुनिश्चित करने में विफलता के कारण 44 चूक मामलों के संबंध में 21.32 करोड़ रूपए का कुल राजस्व उच्च जोखिम को उजागर करता था।

(पैराग्राफ 2.13)

- शुल्क वसूल करते समय 7 मामलों में 2.16 करोड़ रूपए का ब्यांज वसूल नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.14)

- 2 लाइसेंसधारकों, जो अपने लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने में विफल रहे, से 6.52 करोड़ रूपए वसूल करने के लिए कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 2.15)

- योजना निर्यात निष्पादन के प्रभावी मानीटरन द्वारा समर्थित नहीं थी जिससे इसकी प्रभावोत्पादकता कम हुई और दुरूपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 2.17)

III. निर्धारणों में अनियमितताएं

- निर्धार्य मूल्य के गलत अपनाने/संगणना के परिणामस्वरूप सीमाशुल्क के लिए दायी माल का अवमूल्यांकन और 4 मामलों में 92 लाख रूपए का कम संग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 3.1 से 3.2)

- 29 मामलों में शुल्क योग्य आयातित माल गलत ढ़ंग से वर्गीकृत और निम्न दरों पर शुल्क को निर्धारित किया गया था जिसके कारण 1.59 करोड़ रूपए का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 4.1 से 4.3)

- छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत न आने वाले शुल्क योग्य माल को उनका लाभ देने के परिणामस्वरूप 25 मामलों में 35.82 करोड़ रूपए के शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 5.1 से 5.4)

- टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्राह्य 1.66 करोड़ रूपए का अतिरिक्त शुल्क 48 मामलों में उद्गृहीत नहीं किया गया/कम उद्गृहीत किया गया था।

(पैराग्राफ 6.1 से 6.5)

- टैरिफ अधिनियम की धारा 3 ए के अंतर्गत उद्ग्राहय 4.33 करोड़ रूपए का विशेष अतिरिक्त शुल्क 15 मामलों में उद्गृहीत नहीं किया गया था/कम उदृगृहीत किया गया था।

(पैराग्राफ 7.1 से 7.5)

- अग्रिम लाइसेंस योजनाओं और ई ओ यू जैसी कुछ छूट योजनाओं को आरम्भ करने से हुए सीमाशुल्क राजस्व के अनुद्ग्रहण/हानि की राशि 159.91 करोड़ रूपए बनती थी।

(पैराग्राफ 8.1 से 8.5)

- तदर्थ छूटों की मंजूरी, भाण्डागार से निकासी किए गए माल पर राजस्व की हानि, भाण्डागार से माल की निकासी में विलम्ब, जब्त किए गए माल की बिक्री न करने, फिरती प्रतिदाय के अनियमित भुगतान आदि जैसी अन्य अनियमितताओं के कारण 98 मामलों में 136.87 करोड़ रूपए की हानि हुई।

(पैराग्राफ 9.1 से 9.12)

अध्याय 1 - प्राप्तियों का विश्लेषण

1.1 सीमाशुल्क प्राप्तियां

1998-99 के लिए बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के साथ 1997-98 और 1998-99 वर्षों के दौरान सीमाशुल्क से प्राप्तियाँ नीचे तालिका में प्रस्तुत की गयी है:-

(करोड़ रूपए में)

निम्न से निवल सीमाशुल्क प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियाँ 1997-98	बजट अनुमान 1998-99	संशोधित अनुमान 1998-99	वास्तविक प्राप्तियां 1998-99
आयात	39441	47684	42271	37849
निर्यात	66	03	03	58
निर्यातों पर उपकर	198	141	118	212
जब्त किए गए माल की बिक्री प्राप्तियां	83	60	21	76
अन्य प्राप्तियां	405	260	235	83
निवल प्राप्तियां	40193	48148	42648	38278

(नोटः (i) दर्शाए गए आंकड़े प्रदत्त प्रतिदाय और फिरती को कम करने के बाद प्राप्त किए गए हैं)
(ii) आयात शुल्कों से संग्रहण विशेष अतिरिक्त शुल्क और विशेष सीमाशुल्क को सम्मिलित करके हैं।
स्रोतः प्रिंसिपल सी सी ए, सी बी ई सी, नई दिल्ली

सीमाशुल्क प्राप्तियां बजट अनुमानों से 9870 करोड़ रूपये या 20 प्रतिशत तक कम रहीं। वे संशोधित अनुमानों से भी 4370 करोड़ रूपये या 10 प्रतिशत तक कम रहीं।

1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1994-95 से 1998-99 तक के दौरान संगृहीत तदनुरूपी निवल सीमाशुल्क के साथ कुल वर्षवार आयातों की तुलना निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

आयातों का मूल्य और संग्रहीत आयात शुल्क
1994-95 से 1998-99 (वर्षवार)

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	आयातों का मूल्य	आयात शुल्क *	आयातों के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में आयात शुल्क
1994-95	88705	26003	29.31
1995-96	121647	34717	28.54
1996-97	138920	42110	30.31
1997-98	154176	41480	26.90
1998-99	176099	42110	23.91

* प्रतिदाय और फिरती सहित

1.3 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलना में आयातों की प्रवृत्ति

1994-95 से 1998-99 तक के दौरान आयातों की तुलना में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में प्रतिशतता परिवर्तन 1999-2000 के अनुमानित आंकड़ों के साथ नीचे दिए गए हैं

वर्ष	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में प्रतिशतता परिवर्तन	आयातों में प्रतिशतता परिवर्तन अम.डालर	आयात शुल्क से संग्रहण में प्रतिशतता परिवर्तन
1994-95	8.4	23.0	20.0
1995-96	12.7	28.1	33.5
1996-97	5.6	6.6	21.3
1997-98	6.6	6.0	-1.5
1998-99	4.0	0.8	1.5
1999-2000	6.0*	10.6*	0.7**

* अनुमानित ** बजटीय

स्रोतः भारतीय अर्थव्यवस्था मानीटरिंग केन्द्र द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा

1.4 सीमाशुल्क प्राप्तियों का पण्यवार विवरण

आयातों और निर्यातों का प्रमुख पण्यवार मूल्य और वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा पूर्व वर्ष 1997-98 के दौरान उनसे उगाहा गया समग्र शुल्क तालिका में नीचे दिये गये हैः-

क) आयात

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	पण्य	आयातों का मूल्य*		आयात शुल्क**		कुल आयात शुल्क संग्रहण में प्रतिशतता शेयर	
		97-98	98-99	97-98	98-99	97-98	98-99
1.	खाद्य और खाद्य के लिए मुख्यतया जीवित पशु	2901	3167	965	1456	2.33	3.46
2	खनिज, ईंधन और संबंधित सामग्री	30341	27064	5359	5070	12.92	12.04
3.	ईंधन को छोड़कर अखाद्य क्रूड मेटीरियल	5451	5217	4867	3230	11.73	7.67
4.	रसायन और संबंधित उत्पाद	18812	19769	3768	3475	9.08	8.25
5.	विनिर्मित माल	24379	27854	3658	4078	8.82	9.68
6.	मशीनरी और परिवहन उपस्कर	18773	17520	8410	9403	20.27	22.33
7.	व्यवसायिक उपकरण आदि	2771	3418	2353	2486	5.67	5.90
8.	अन्य	50748	72090	12100	12912	29.18	30.67
	जोड़	154176	176099	41480	42110		

ख) निर्यात

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	पण्य	निर्यात का मूल्य		निर्यात शुल्क और उपकर	
		1997-98	1998-99	1997-98	1998-99
1.	खाद्य मदें	19464	21250	08	09
2.	पेय और तम्बाकू	1070	779	14	16
3.	ईंधन (अभ्रक सहित) को छोड़कर अखाद्य क्रूड मेटीरियल	4928	4035	02	02
4.	खनिज, ईधन, स्नेहक और संबंधित सामग्री	1252	989	--	--
5.	रसायन और संबंधित उत्पाद	2194	2291	--	--
6.	मोती, कीमती, अर्धकीमती पत्थरों और कारपेटस को छोड़कर विनिर्मित माल, हस्तनिर्मित चमड़ा और तैयार वस्त्रों तथा वस्त्र उपसाधंनों सहित चर्म उत्पादन	17898	17759	--	--
7.	हस्तशिल्प, जैम और ज्वैलरी सहित विविध विनिर्मित वस्तुएं	28814	35287	--	--
8.	अन्य	54480	59213	110	88
	निर्यातों ओर पुनःनिर्यातों का जोड़	130100	141603	134	115

*** स्रोतः वाणिज्य मंत्रालय नई दिल्ली**

** सांख्यिकीय और आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली

1.5 छोड़ा गया शुल्क

1.5.1 निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत

क) 1995-96 से 1998-99 तक की अवधि के लिए निर्यात विकास योजनाओं यथा अग्रिम लाइसेंस, डी ई पी बी, ई पी सी जी, ई पी जेड, ई ओ यू, फिरती तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत शुल्क के प्रतिदाय के संबंध में छोड़े गए शुल्क का विवरण नीचे की तालिका में दर्शाये गए हैः

निर्यात विकास योजनाओं और शुल्क फिरती योजना के अंतर्गत छोड़ा गया सीमाशुल्क

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	अग्रिम लाइसेंस	डी ई पी बी	ई पी सी जी	ई पी जेड	ई ओ यू	शुल्क फिरती	अन्य	जोड़
1995-96	3843	--	1022	1214	1944	2664	567	11254
1996-97	3430	--	2421	1269	2067	2927	847	12961
1997-98	3547	469	1385	1200	2004	3661	891	13157
1998-99	3615	2631	1343	974	2178	4081	670	15492

शुल्क छूट योजनाओं की लेखापरीक्षा में नियमित रूप से समीक्षा की जाती रही है और राजस्व हानि सहित कमियों पर पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गयीं थीं "पूंजीगत माल निर्यात विकास योजना" पर एक मूल्यांकन इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में शामिल किया गया है।

ख) 1995-96 से 1998-99 तक की अवधि के लिए विभिन्न निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया कुल शुल्क नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

छोड़ा गया सीमाशुल्क

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	संग्रहीत सीमाशुल्क	निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया कुल शुल्क	सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया शुल्क
1995-96	35728	11254	31
1996-97	42851	12961	30
1997-98	40193	13157	33
1998-99	38278	15492	40

निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया शुल्क 1995-96 में सीमाशुल्क प्राप्तियों के 31 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में सीमाशुल्क प्राप्तियों के 40 प्रतिशत् तक हो गया।

ग) निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत किए गए आयातों पर शुल्क के छोड़े जाने का मूल उद्देश्य विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाना था और इस प्रकार व्यापार शेष में घाटे को कम करना था। लेखापरीक्षा जांच और अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्यात दायित्व की एक वचनबद्धता के आधार पर आयात के समय शुल्क छूटें अनुमत की गई थीं और निर्यात के लदान दस्तावेजों के आधार पर फिरती अनुमत की जाती है। तथापि सीमाशुल्क गृहों और महानिदेशक, विदेश व्यापार के कार्यालयों में प्रचलित मानीटरिंग तंत्र यह सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं हुआ कि निर्यात गृहों द्वारा प्रस्तुत लदान बिलों पर घोषित निर्यात मूल्य के प्रति देय विदेशी मुद्रा की पूरी राशि की वास्तव में उगाही की गयी थी। किए गए निर्यातों के प्रति विदेशी मुद्रा के अनुद्ग्रहण के मामले इस प्रतिवेदन के अध्याय 9 में चित्रित किए गए हैं।

1.5.2 छोड़ा गया अन्य शुल्क

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) और (2) के अंतर्गत 1995-96 से 1998-99 तक के दौरान छोड़ा गया शुल्क {पैरा 1.5(ख) के अनुसार निर्यात विकास योजनाओं के संबंध में शुल्क से इतर} नीचे की तालिका में दर्शाए गए है:-

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	25(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं की संख्या	25(2) के अंतर्गत जारी कुल अधिसूचनाओं की संख्या	जारी अधिसूचनाओं की कुल संख्या	25(1) के अंतर्गत छोड़ा गया शुल्क	25(2) के अंतर्गत छोड़ा गया शुल्क	छोड़ा गया शुल्क
1995-96	55	258	313	1467.17	552.21	2019.38
1996-97	63	159	222	934.50	178.90	1113.40
1997-98	76	136	212	2624.00	16.80	2640.80
1998-99	57	उ.न.	उ.न.	4184.85	उ.न.	उ.न.

धारा 25(1) सामान्य छूट

धारा 25(2) तदर्थ छूट

1.6 सीमाशुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

वर्ष 1998-99 के दौरान सीमाशुल्क के संग्रहण पर किया गया व्यय पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ नीचे दिये गए है:-

(करोड़ रूपए में)

संग्रहण की लागत	1997-98	1998-99
राजस्व एवं आयात निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्य	**91.34**	**108.98**
निवारक और अन्य कार्य	**340.09**	**356.55**
जोड़	**431.42**	**465.53**
सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत	**1.07**	**1.21**

सीमाशुल्क प्राप्तियों के संग्रहण में 5 प्रतिशत की कमी हुई है वहां संग्रहण की लागत की प्रतिशतता में पूर्व वर्ष के संबंध में 1998-99 के दौरान 14 प्रतिशत की सीमा तक वृद्धि हुई है।

1.7 तलाशियां और अभिग्रहण

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा की गयी तलाशियों और प्रभावित अभिग्रहणों के विवरण, जो मंत्रालय द्वारा दिये गये नीचे दर्शाए गए हैं-

तलाशियां और अभिग्रहण

क्र.सं.	विवरण	1997-98	*1998-99
1.	तलाशियों की संख्या	1207	312
2.	अभिगृहीत माल का मूल्य (करोड़ रूपए में)	92.03	346.01
3.	न्यायनिर्णीत अभिग्रहण मामलों की संख्या	**1497	310

*आंकड़े कोचीन, कलकत्ता, गोवा, काण्धला, मुम्बई तथा चेन्नई (समुद्री) कमिश्नरियों से संबंधित हैं।

** पूर्व वर्षों में किए गए अभिग्रहण शामिल हैं।

1.8 वसूली के लिए सीमाशुल्क का बकाया

31 मार्च 1999 तक निर्धारित सीमाशुल्क की राशि, जिसकी 30 जून 1999 तक अभी भी उगाही की जानी थी, 21 सीमाशुल्क गृहों और कमिश्नरियों में 224.90 करोड़ रूपए थी।

1.9 समय सीमा द्वारा बाधित शुल्क की मांगें

31 मार्च 1999 तक विभाग द्वारा की गयी मांगें, जो 30 जून 1999 को उगाही के लिए लम्बित थीं तथा जहां वसूली समय सीमा द्वारा बाधित थी, 21 सीमाशुल्क गृहों और कमिश्नरियों में 0.31 करोड़ रूपए बनती थीं।

1.10 बट्टेखाते डाला गया शुल्क

वर्ष 1998-99 और पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान बट्टे खाते डाले गए सीमाशुल्क, माफ की गयी शास्तियां और किए गए अनुग्रह पूर्वक भुगतान नीचे दिए गए है:-

(लाख रूपए में)

वर्ष	राशि
1998-99	7.90
1997-98	21.13
1996-97	4.87

1.11 लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या

31 मार्च 1999 तक लेखापरीक्षा में की गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या और विभिन्न सीमाशुल्क गृहों और संयुक्त सीमाशुल्क कमिश्नरियों में 30 सितम्बर 1999 को निपटान के लिए लम्बित आपत्तियों की संख्या नीचे दी गयी है-

बकाया आप्पतियॉ और अंतर्ग्रस्त राशि

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संख्या	राशि
1.	अहमदाबाद	23	10.25
2.	अहमदाबाद (प्रिव)	57	15.54
3	भुवनेश्वर	31	80.78
4	कलकत्ता	971	394.04
5	चेन्नई (समुद्री)	1096	89.51
6	चैन्नई (वायु)	836	3.11
7	कोचीन	90	12.76
8	दिल्ली	831	20.40
9	हैदराबाद	239	36.18
10	कर्नाटक	730	23.14
11	मुम्बई (हवाई)	143	12.12
12	मुम्बई (समुद्री)	247	236.30
13	तिरूचिरापल्ली	119	68.04
14	पश्चिम बंगाल (प्रिव)	181	28.38
15	अन्य	930	458.61
	जोड	6524	1489.16

1.12 बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणी

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	आपत्तियों की श्रेणी	आपत्तियों की संख्या	राशि
1.	गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण	1525	51.61
2.	छूट की गलत मंजूरी के कारण कम उद्ग्रहण	978	94.70
3.	आयात शुल्कों का अनुद्ग्रहण	706	16.39
4.	अवमूल्यांकन के कारण कम उद्ग्रहण	287	50.32
5.	फिरती की मंजूरी में अनियमितताएं	475	22.16
6.	प्रतिदाय की मंजूरी में अनियमितताएं	43	17.50
7.	निर्यात शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण में अनियमितताएं	94	13.85
8.	अन्य अनियमितताएं	2416	1222.63
	जोड़	6524	1489.16

1.13 प्रतिवेदन का सार

प्रतिवेदन में 768.49 करोड़ रूपए के कुल राजस्व प्रभाव वाले 231 पैराग्राफ और 'ई पी सी जी योजना' पर एक समीक्षा शामिल है। दिसम्बर 1999 को मंत्रालय को भेजे गए 237 पैराग्राफों में से उन्होंने 111 पैराग्राफों के उत्तर भेज दिए हैं और 8.36 करोड़ रूपए की वसूली सूचित की है।

अध्याय 2 : निर्यात विकास पूंजीगत माल योजना

2.1 मुख्य मुख्य बातें

- सम्पूर्ण स्तर पर 2932 लाइसेंसधारक प्राप्त की जाने वाली कुल निर्यात बाध्यता का केवल 77 प्रतिशत प्राप्त कर सके। इससे 247 करोड़ रूपए की सीमा शुल्क छूटें अनुत्पादक हो गई।

(पैराग्राफ 2.5)

- यद्यपि विधि मंत्रालय ने ऐसी प्रतिक्रिया को गौण विधि निर्माण की सीमा से परे माना फिर भी वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात बाध्यता की अवधि को मार्च 2001 तक बढ़ाकर सभी दोषी फर्मों के लिए एक व्यापक क्षमादान अप्रैल 1999 में अधिसूचित किया। वित्त मंत्रालय ने अभी तक कोई तदनुरूपी सीमाशुल्क अधिसूचना जारी नहीं की है और शुल्क तथा ब्याज वसूली के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

(पैराग्राफ 2.6)

- लाइसेंस/सीमाशुल्क प्राधिकारी 109 दोषी लाइसेंसधारकों से 355.90 करोड़ रूपए के कुल प्राप्य वसूल करने में असफल रहे।

(पैराग्राफ 2.7)

- 20 लाइसेंसधारियों, जिन्होंने निर्यात बाध्यता पूरी करना सूचित किया था, के आंशिक निर्यात परेषण ऐसी गणना में लिए जाने के पात्र नहीं थे। इन लाइसेंसधारियों से 9.20 करोड़ रूपए का सीमाशुल्क और 12.13 करोड़ रूपए का ब्याज वसूली योग्य थे।

(पैराग्राफ 2.8)

- 2 निर्यातकों/लाइसेंसधारकों के गलत निर्यात विवरणों का पता लगाने में लाइसेंस प्राधिकारी की विफलता के कारण लाइसेंसधारकों से 11.28 करोड़ रूपए के सीमाशुल्क और 16.64 करोड़ रूपए के ब्याज की वसूली नहीं हुई। उन यूनिटों पर 113.48 करोड़ रूपए की शास्ति भी लगाई जानी थी।

(पैराग्राफ 2.9)

- 3 मामलों में औसत निष्पादन के गलत निर्धारण से निर्यात बाध्यता पूरी करने का दावा करने में निर्यातक समर्थ हुए हालांकि केवल आंशिक निर्यात बाध्यता पूरी की गई थी। 1.47 करोड़ रूपए का शुल्क और ब्याज वसूली योग्य था। उनमें से 2 मामलों में लाइसेंसधारकों द्वारा गत निष्पादन की गलत घोषणा के कारण गलत नियतन हुआ था। इन पर शास्तिक कार्रवाई भी की जानी थी।

(पैराग्राफ 2.10)

- नीति के प्रतिकूल एक लाइसेंसधारी को आयातित पूंजीगत माल से विनिर्मित न किए गए उत्पादों के निर्यात द्वारा अतिरिक्त देयता पूरी की गई अनुमत की गई थीं, जिससे शुल्क छूट और ब्याज के प्रति 12.84 करोड़ रूपए वसूली योग्य थे।

(पैराग्राफ 2.11)

- **3 मामलों में शुल्क छूट लाइसेंस जारी करने से पूर्व आयतित पूंजीगत माल को दी गई थी। शुल्क तथा ब्याज के कारण 1.99 करोड़ रूपए वसूल किये जाने हैं।**

(पैराग्राफ 2.12)

- **बैंक गारंटी का नवीकरण सुनिश्चित करने में विफलता के कारण 44 चूक मामलों के संबंध में 21.32 करोड़ रूपए का कुल राजस्व उच्च जोखिम को उजागर करता था।**

(पैराग्राफ 2.13)

- **शुल्क वसूल करते समय 7 मामलों में 2.16 करोड़ रूपए का ब्याज वसूल नहीं किया गया था।**

(पैराग्राफ 2.14)

- **2 लाइसेंसधारकों, जो अपने लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने में विफल रहे, से 6.52 करोड़ रूपए वसूल करने के लिए कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।**

(पैराग्राफ 2.15)

- **योजना निर्यात निष्पादन के प्रभावी मानीटरन द्वारा समर्थित नहीं थी जिससे इसकी प्रभावोत्पादकता कम हुई और दुरूपयोग हुआ।**

(पैराग्राफ 2.17)

2.2 प्रस्तावना

निर्यात विकास पूंजीगत माल योजना (ई पी सी जी योजना) आयात निर्यात नीति 1990-93 के अंतर्गत अप्रैल 1990 से भारत सरकार द्वारा अरम्भ की गई थी। योजना में आयात की तारीख से चार वर्षों के अन्दर पूरी की जाने वाली आयातों के ला बी भा मूल्य की तीन गुनी निर्यात बाध्यता के साथ 25 प्रतिशत सीमाशुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल का आयात अनुमत किया गया। आयात निर्यात नीति 1992-97 के अंतर्गत शुल्क की रियायती दर 15 प्रतिशत तक कम कर दी गई थी और पांच वर्षों के भीतर पूरी की जाने वाली निर्यात बाध्यता चार गुने तक बढ़ा दी गई थी। 1 अप्रैल 1993 के बाद जारी लाइसेंसों के संबंध में बाध्यता अवधि की गणना लाइसेंस जारी करने की तारीख से की गई थी।

निर्यात बाध्यता योजना के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल के उपयोग से विनिर्मित माल के निर्यात द्वारा और आयातक द्वारा ली गई कोई अन्य बाध्यता अलग से पूरी की जानी अपेक्षित थी। यह पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में सर्वोत्तम दो वर्षों के दौरान निर्यातों के वार्षिक औसत मूल्य के अतिरिक्त भी किया जाना था।

निर्यात बाध्यता सहित लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन में विफलता की दशा में योजना में पहले परेषण के आयात की तारीख से 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ सीमाशुल्क का भुगतान निर्दिष्ट है।

2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

योजना का व्यापक मूल्यांकन उन लाइसेंसों के संबंध में नवम्बर 1998 से अगस्त 1999 तक के दौरान लेखापरीक्षा में किया गया था जहां निर्यात बाध्यता अवधि समाप्त हो गई थी अर्थात जो 1990-91 से 1993-94 तक के दौरान जारी किए गए थे। इस प्रयोजन हेतु डी जी एफ टी नई दिल्ली के कार्यालय,

प्रादेशिक लाइसेंस प्राधिकारी और चयनित यूनिटों तथा संबंधित कमिश्नरियों में अनुरक्षित अभिलेखों की संवीक्षा की गई थी।

1990-91 और 1993-94 के बीच इस योजना के अंतर्गत जारी 1074.00 करोड़ रूपए की शुल्क छूट वाले कुल 3878 लाइसेंसों में से 695.24 करोड़ रूपए की शुल्क रियायत के 703 लाइसेंसों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी।

2.4 संगठनात्मक ढ़ांचा

महानिदेशक विदेश व्यापार (डी जी एफ टी) की अध्यक्षता में आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार है। योजना के अंतर्गत आवेदनों पर डी जी एफ टी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विचार किया जाता है। 10 करोड़ रूपए से अधिक ला बी भा मूल्य के आयात के मामलों पर वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विचार किया जाता है। 1990-93 की नीति के अनुसार आयातक से पूंजीगत माल के आयात से पूर्व संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी के साथ शुल्क की पूर्ण राशि के लिए एक सुरक्षा एवं जमानती बन्धपत्र/बैंक गारंटी निष्पादित किए जाने का प्रमाण आयात करने के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। इसे एक्जिम नीति 1992-97 के अंतर्गत सुरक्षित शुल्क के 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था। बैंक गारंटी निष्पादित किए जाने का प्रमाण आयात करने के समय पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। इसके अलावा आयातक द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारियों को एक घोषणा की जानी है कि लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन न किए जाने की दशा में वह यदि छूट न होती तो ऐसे माल पर उद्ग्राह्य शुल्क के बराबर एक राशि मांग करने पर अदा करेगा। लाइसेंस में निर्धारित निर्यात बाध्यता पूरी हो जाने पर लाइसेसधारी विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी से मुक्त होने का हकदार होगा।

2.5 कुल निष्पादन

जैसाकि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया 1993-94 तक जारी लाइसेंसों के संबंध में समग्र निर्यात निष्पादन निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

अवधि	लाइसेंसों की संख्या	ला बी भा मूल्य	छोड़ा गया सीमाशुल्क	लगाई गई नि. बाध्यता	पूरी की गई नि. बाध्यता	पूरी की गई नि. बाध्यता की प्रतिशतता (30 अप्रैल 1998 तक)
1990-91	270	289.39	37.00	868.45	806.36	92.85
1991-92	310	403.91	128.00	1211.73	1116.73	92.16
1992-93	1650	2219.90	571.00	9946.24	7233.08	72.72
1993-94	1648	1934.28	338.00	8685.17	3762.80	43.32
जोड़	3878	4847.48	1074.00	20711.59	12918.97	62.37

वाणिज्य मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2000) कि जारी 3878 लाइसेंसों में से केवल 2932 लाइसेंस उपयोग में लाए गए थे। लगाई गई अद्यतन निर्यात बाध्यता 18740 करोड़ रूपए थी जिसके प्रति पूरी की गई निर्यात बाध्यता 14450 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार योजना के अंतर्गत 4290 करोड़ रूपए (23

प्रतिशत) के प्रत्याशित निर्यात निर्यात बाध्यता की अवधि के दौरान फलीभूत होने में विफल हुए। उसी सीमा तक छोड़े गए शुल्क की 247 करोड़ रूपए (23 प्रतिशत) की राशि ने वांछित निर्यात विकास का फल नहीं दिया।

1371 चूककर्त्ता फर्मों के निर्यात निष्पादन के वर्षवार ब्यौरे, जैसे कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए, निम्नानुसार हैः

वर्ष	जारी लाइसेंसों की संख्या	चूककर्ताओं की संख्या	चूक में लाइसेंसों की प्रतिशतता	चूककर्ताओं के लिए निर्धारित नि.बाध्यता मि. अम.डालर	चूककर्ताओं द्वारा पूरी की गई निर्यात बाध्यता मि.अम.डालर	पूरी की गई नि.बाध्यता की प्रतिशतता
1990-91	270	22	08	29.5	4.4	15
1991-92	310	53	17	207.4	53.8	26
1992-93	1650	582	35	887.1	274.8	31
1993-94	1648	714	43	1727.3	340.9	20
जोड़	3878	1371	35	2851.3	673.9	24

यह देखा जा सकता है कि 3 लाइसेंस धारकों में से 1 अपनी निर्यात बाध्यता पूरी करने में विफल रहा और कि इन 1371 चूककर्ताओं का औसत निर्यात निष्पादन मात्र 24 प्रतिशत था।

695.24 करोड़ रूपए की शुल्क छूट भार वाले 703 लाइसेंसों से संबंधित सुसंगत अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा से योजना के कार्यान्वयन में अनेक कमियों का पता चला। इन कमियों का एक विहंगावलोकन नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

	लाइसेसों की संख्या	शुल्क की राशि (करोड़ रूपए में)
शून्य निर्यात	31	35.57
आंशिक निर्यात	78	112.75
गलत निर्यात विवरणों सहित निर्यात बाध्यता का गलत पूरा किया जाना	27	20.48
निर्यात बाध्यता/उत्पाद का गलत निर्धारण	5	5.38
लाइसेंस जारी करने से पूर्व किए गए पूंजीगत माल के आयातों पर गलत छूट	3	0.67
लाइसेंस की शर्तों का पूरा न किया जाना	3	2.51
अन्य अनियमितताएं	7	2.94
जोड़	154	180.30

इन मामलों के विवरण पैरागाफ 2.7 से 2.16 तक में वर्णित हैं।

2.6 क्षमादान योजना अप्रैल 1999

जून 1995 तक जारी न तो आयात निर्यात नीति और न ही किसी सीमाशुल्क अधिसूचना (110/95 दिनांक 5 जून 1995) में निर्यात बाध्यता अवधि में वृद्धि देने के लिए कोई प्रावधान परिकल्पित किया गया था। फिर भी वाणिज्य मंत्रालय ने सार्वजनिक सूचना (संख्या 5 दिनांक 6 अप्रैल 1999) के तहत निर्यात बाध्यता पूरी करने के लिए 31 मार्च 2001 तक समय सीमा अनुमत करने के द्वारा सभी चूककर्ता निर्यातकों को छूट दे दी।

निर्यात बाध्यता एक निर्यातक और सरकार के बीच एक संविदागत करार है और उसका कोई अधित्याग कानूनी तथा राजस्व की विवक्षा रखता है। इसके अलावा चूंकि शुल्क की वसूली/उसका अधित्याग केवल सीमाशुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियमित किया जाता है इसलिए यह अधित्याग केवल राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ही लागू हो सकेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में वित्त मंत्रालय को लिखे जाने पर उन्होंने बताया (अगस्त 1999) कि सार्वजनिक सूचना वित्त मंत्रालय तथा महा न्यायवादी की सहमति के बिना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। महान्यायवादी ने नवम्बर 1997 में विशेष रूप से यह बताया था कि यदि कोई देयता किसी विद्यमान अधिसूचना के अंतर्गत पहले ही उपचित हो गई है तो उसका अधित्याग नहीं किया जा सकता है और कि मूल अधिसूचना में इस संबंध में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है तो निर्याता बाध्यता अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जा सकेगी। यह इस तर्क पर आधार वाक्य था कि केवल विधानमण्डल ही पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बना सकता है और अधीनस्थ विधान केवल भविष्य प्रभावी हो सकता है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी करने के बाद राजस्व विभाग द्वारा दूसरी बार महान्यायवादी का परामर्श लिया गया था। अपने पूर्व विचार की पुष्टि की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा तदनुसार कोई तदनुरूपी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। उन्होंने चूक के सभी मामलों में सरकारी प्राप्यों की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई सूचित की (अगस्त 1999)।

वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर 1999 में बताया कि संघ के विधि मंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण (तत्कालीन वाणिज्य मंत्री के दिनांक 30 सितम्बर 1999 के अ.शा. पत्र के उत्तर में दिनांक 1 अक्तूबर 1999 का अ.शा. पत्र संख्या एम एल जे एण्ड सी ए/वी आई पी/99/541) कि उसके विचार से 6 अप्रैल 1999 की अधिसूचना पूर्णरूप से वैध थी, के परवर्ती सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 169/90, 160/91 एवं 307/92 का संशोधन मसौदा विधि मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। विधि मंत्री द्वारा विचार दिए जाने से पांच महीने बीत जाने के बावजूद उक्त अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

जनवरी 2000 में वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि 1371 चूककर्ता लाइसेंस धारकों में से मात्र 108 ने दिनांक 6 अप्रैल 1999 की सार्वजनिक सूचना संख्या 5 के अंतर्गत समय वृद्धि देने का अनुरोध किया है। क्षमादान योजना के प्रति खराब प्रतिक्रिया इस बात की सूचक है कि 92 प्रतिशत चूककर्ता लाइसेंसधारियों को विस्तारित अवधि में भी अपनी निर्यात बाध्यता को पूरा करने की उम्मीद नहीं थी। इसके अतिरिक्त शेष लाइसेंसधारियों से ब्याज सहित शुल्क की तत्काल वसूली की जानी है। आगामी सूचना प्रतीक्षित है।

2.7 निर्यात बाध्यता का पूरा न करना/आंशिकतौर पर पूरा करना

लाइसेंसधारी द्वारा निष्पादित विधिक करार के अनुसार निर्यात बाध्यता/शर्त पूरी करने में उसकी चूक की स्थिति में प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित सीमाशुल्क रियायत प्रथम परेषण के आयात की तारीख से भुगतान की तारीख तक अदा किया जाना था।

ग्यारह कमिश्नरियों में 703 यूनिटों के रिकार्डों की नमूना जांच दर्शाती थी कि 109 यूनिटें अनुबद्ध समय के भीतर निर्धारित निर्यात बाध्यता पूरी नहीं कर सकीं और 31 मार्च 1999 को शुल्क के रूप में 148.32 करोड़ रूपए और ब्याज के रूप में 207.58 करोड़ रूपए की राशि उनसे वसूली योग्य थी।

क) शून्य निर्यात मामले

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 31 लाइसेंसधारी बाध्यता अवधि के दौरान कोई निर्यात करने में विफल रहे थे। कमिश्नरीवार ब्यौरे निम्नवत हैः

कमिश्नरी	मामलों की संख्या	निर्धारित कुल निर्यात बाध्यता (मि.अ.डा.)	वसूली योग्य शुल्क की राशि (लाख रूपए में)	@ 24% की दर पर 31.3.99 तक ब्याज (लाख रूपए में)
मुम्बई	1	2.36	69.15	135.54
कलकत्ता	1	20.13	327.14	295.22
मुम्बई	1	1.11	49.42	81.05
चेन्नई (समुद्र)	3	5.33	266.70	366.54
चेन्नई (वायु)	1	0.17	10.64	14.65
हैदराबाद (I)	3	9.61	224.56	339.30
हैदराबाद (III)	1	1.14	76.35	112.58
कलकत्ता	5	46.32	1343.75	1685.41
दिल्ली	5	207.26	256.73	319.90
मुम्बई	6	34.38	608.48	837.27
चेन्नई	3	63.32	322.93	464.68
कोचीन	1	0.04	1.04	1.25
जोड़	31	391.17	3556.89	4653.39

लाइसेंसवार ब्यौरे इस प्रतिवेदन के अनुबंध-I में हैं। यद्यपि बाध्यता की अवधि 31 मार्च 1998 तक समाप्त हो गई थी फिर भी ब्याज के साथ शुल्क छूट वसूल करने के लिए कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

ख) आंशिक निर्यात मामले

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 78 लाइसेंसधारकों ने नीचे दिए विवरण के अनुसार निर्दिष्ट अवधि में निर्यात बाध्यता पूरी नहीं की थीः

कमिश्नरी	मामलों की संख्या	निर्धारित कुल निर्यात बाध्यता (मि.अ.डा.)	वास्तव में किए गए कुल निर्यात का मूल्य (मि.अ.डा.)	पूरी की गई निर्यात बाध्यता की प्रतिशतता	वसूली योग्य शुल्क की राशि (लाख रूपए में)	24% की दर पर 31.3.99 तक ब्याज (लाख रू. में)
कोचीन	4	14.77	4.46	30.19	455.66	677.09
मुम्बई	10	22.08	8.12	36.77	557.70	886.68
कलकत्ता	1	43.13	1.18	2.73	1180.88	1417.05
मुम्बई	17	181.15	80.29	44.32	2850.93	3669.70
चेन्नई	1	7.35	4.93	67.07	157.86	202.06
चेन्नई (समुद्र)	11	65.69	31.46	47.96	876.53	1436.67
कोयम्बटूर	2	30.69	24.08	78.46	413.52	595.85
त्रिची	1	14.79	5.93	40.09	103.28	121.77
हैदराबाद (I)	2	0.67	0.14	20.89	15.99	23.70
हैदराबाद (III)	1	13.48	2.40	17.80	183.29	264.67
गुंटूर	2	3.58	0.64	17.87	96.76	138.62
विशाखापट्टनम	3	27.74	3.05	10.99	1891.02	3076.39
कलकत्ता	8	44.70	17.67	39.53	779.77	1062.83
दिल्ली	8	178.36	15.72	8.81	1207.09	1828.01
मुम्बई	6	73.24	21.91	29.91	449.87	626.28
चेन्नई	1	16.23	15.65	96.42	54.64	77.59
जोड़	78	737.55	237.63	32.21	11274.79	16104.96

लाइसेंसवार ब्यौरे इस प्रतिवेदन के अनुबंध-II में हैं।

उत्तर में सीमाशुल्क विभाग ने बताया कि 33 लाइसेंसधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। डी जी एफ टी ने शून्य निर्यात मामलों के छः मामलों, आंशिक निर्यात मामलों के सात मामलों में आपत्तियां स्वीकार कीं ओर 2.00 करोड़ रूपए की वसूली सूचित की। मंत्रालय ने यह भी बताया (जनवरी 2000) कि लेखापरीक्षा द्वारा सूचित आंशिक पूर्णता के 78 मामलों में से 20 ने दिनांक 6 अप्रैल 1999 की सार्वजनिक सूचना संख्या 5 के अंतर्गत समय वृद्धि के लिए आवेदन किया था। 292.54 करोड़ रूपए की राशि 89 लाइसेंसधारकों, जिन्होंने क्षमादान के लिए आवेदन नहीं किया है, से तत्काल वसूली योग्य है।

2.8 निर्यात बाध्यता का गलत ढंग से पूरा करना

आयात-निर्यात नीति 1990-1993 के पैरा 197 और एक्जिम नीति 1992-97 के पैरा 41(1) में अनुबद्ध है कि निर्यात बाध्यता ई पी सी जी योजना के अंतर्गत आयातित पूंजीगत माल के उपयोग द्वारा विनिर्मित माल के निर्यात द्वारा पूरी की जाएगी। इसके अतिरिक्त् माने गए निर्यात 1 अप्रैल 1995 से पूर्व निर्यात बाध्यता पूरी करने के लिए पात्र नहीं थे।

(क) आयात से पूर्व निर्यात

हैदराबाद, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोचीन और नई दिल्ली कमिश्नरियों में स्थित सात यूनिटों को जारी किए गए 13 लाइसेंसों के संबंध में निर्यात या तो पूर्णतः या अंशतः पूंजीगत माल के आयात से पूर्व किए गए थे। इसलिए निर्यात बाध्यता सही ढंग से पूरी नही की गई थी। उस हैसियत से 8.30 करोड़

रूपए के ब्याज के साथ 6.51 करोड़ रूपए की शुल्क रियायत वसूली योग्य थी। 13 लाइसेंसों के ब्यौरे अनुबंध ।।। में दिए गए हैं। कुछ अधिक मूल्य वाले मामले नीचे उदधृत किए गए हैं -

i) अप्रैल 1993 में एक फर्म को 1.94 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता के साथ हैदराबाद ।।। कमिश्नरी में एक ई पी सी जी लाइसेंस जारी किया गया था। सितम्बर 1993 में उन्होंने 1.37 करोड़ रूपए मूल्य के पूंजीगत माल का अयात किया। लाइसेंसधारी ने जून 1993 से जनवरी 1998 के बीच किए गए 1.94 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात का विवरण प्रस्तुत किया और लाइसेंस के मोचन का दावा किया। निर्यातों के विवरण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 0.18 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात (9.2%) पूंजीगत माल के आयात से पूर्व किए गए थे। इस प्रकार ऐसे अपात्र निर्यात के परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारित निर्यात बाध्यता कम पूरी की गई जिससे 2.65 करोड़ रूपए के ब्याज के साथ शुल्क की वसूली आवश्यक हो गई। अप्रैल 1999 में इसे बताए जाने पर सीमाशुल्क विभाग (मुम्बई सीमाशुल्क गृह) ने उत्तर दिया कि जुलाई 1999 में मांग नोटिस जारी किया गया था। म.नि.वि.व्या. से उत्तर प्रतीक्षित है।

ii) जुलाई 1992 से अक्तूबर 1993 तक कलकत्ता सीमाशुल्क गृह में एक आयातक को चार लाइसेंस जारी किए गए थे। निर्यात विवरण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 0.40 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात पूंजीगत माल के आयात के पूर्व किए गए थे। ऐसे अपात्र निर्यात के परिणामस्वरूप निर्यात बाध्यता कम पूरी की गई। 1.79 करोड़ रूपए की राशि के ब्याज के साथ आयात पर परित्यक्त शुल्क वसूली योग्य है। इसे विभाग को सितम्बर 1999 में बताया गया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

iii) नवम्बर 1993 के दौरान 12.29 करोड़ रूपए के ला.बी.भा. मूल्य के चार लाइसेंस दिल्ली की एक यूनिट को जारी किए गए थे। जून 1998 के दौरान लाइसेंसों के विमोचन के लिए प्रस्तुत निर्यात के विवरण से पता चला कि पूंजीगत माल के आयात से पूर्व 15.12 मिलियन अमरीकी डालर की निर्धारित निर्यात बाध्यता के प्रति 8.87 मिलियन अमरीकी डालर के किए गए निर्यात, निर्यात बाध्यता को पूरी करने के लिए पात्र नहीं थे। विभाग ने लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत निर्यात विवरण पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लाइसेंसधारी 5.84 करोड़ रूपए के ब्याज के साथ सीमाशुल्क अदा करने का दायी था। इसे विभाग को अगस्त 1999 में बताया गया था। डी जी एफ टी ने आपत्ति स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 1999) फर्म से राशि जमा करने के लिए कहा।

(ख) विनिर्दिष्ट उत्पाद के अतिरिक्त निर्यात

पांच यूनिटों को जारी छः लाइसेंसों के संबंध में निर्यातित समस्त अथवा आंशिक माल उनके लाइसेंसों में विनिर्दिष्ट माल से अलग थे। इसके परिणामस्वरूप उन पर लगाई गई निर्यात बाध्यता पूरी नहीं हुई। आंशिक रूप से पूरी हुई। 2.50 करोड़ रूपए की राशि की शुल्क रियायत और 3.59 करोड़ रूपए का ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित था। कुछ मामले नीचे उदाहरणसहित दिए गए हैः-

i) जुलाई 1991 में गुंतूर कमिश्नरी में 4.89 लाख रूपए के ला.बी.भा. मूल्य के लिए एक ईपी सी जी लाइसेंस जारी किया गया था। इसके निर्यात उत्पाद के रूप में चीनी मिष्ठान का निर्यात करने के लिए 0.08 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता नियत की गई थी। अप्रैल 1997 में लाइसेंस का विमोचन किया गया था। लाइसेंसधारी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 0.02 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात मैंगो फ्रूटबार के थे जो चीनी मिष्ठान से अलग उत्पाद हैं और आयातित मशीनरी का उनके विनिर्माण में उपयोग नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप निर्यात

बाध्यता का आंशिक पालन हुआ। ब्याज के साथ पूंजीगत माल के आयात पर बचाए गए शुल्क की कुल 15.87 लाख रू. की राशि वसूल की जानी अपेक्षित थी। इसे मार्च 1999 में बताया गया था और समाधान के परिणाम प्रतीक्षित है।

ii) एक ई पी सी जी लाइसेंस धारक (मुम्बई सीमाशुल्क गृह) ने "हल्के संरचनात्मक फ्लैट्स और बार" जो लाइसेंस में निर्यात उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट था की बजाए " स्टेनलेस स्टील ब्राइट वायर राड ऐन्गल " का निर्यात करके निर्यात बाध्यता पूरी की। विनिर्दिष्ट उत्पाद के अलावा उत्पाद से निर्यात बाध्यता पूरी करने के परिणामस्वरूप निर्यात बाध्यता कम पूरी की गई। ब्याज के साथ परिव्यक्त शुल्क 1.36 करोड़ रूपए बनता था जो वसूल किया जाना अपेक्षित है। इसे विभाग को जून 1999 में बताया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

iii) मुम्बई में एक ई पी सी जी लाइसेंस धारक ने 1.34 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के लाइसेंस शुदा निर्यात उत्पाद ब्रास बाल प्वाइंट टिप के प्रति 0.55 मिलियन अमरीकी डालर के वायर बार और रिफिल का निर्यात किया। विनिर्दिष्ट उत्पाद के अलावा उत्पाद का निर्यात करके निर्यात बाध्यता को आंशिक रूप से पूरी करने के परिणामस्वरूप 36.45 लाख रूपए के ब्याज सहित 58.95 लाख रू. तक शुल्क देयता के साथ निर्यात बाध्यता पूरी नहीं हुई जो वसूल की जानी अपेक्षित है। इसे विभाग को जून 1999 में बताया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

iv) अहमदाबाद कमिश्नरी में एक ई पी सी जी लाइसेंसधारक ने जनवरी 1993 में जारी लाइसेंस में यथाविनिर्दिष्ट पॉलीस्टर यार्न फाइबर की बजाए पॉलीस्टर यार्न फेब्रिक निर्यात करके निर्यात बाध्यता पूरी की। इसके परिणामस्वरूप शुल्क रियायत का अनियमित लाभ लिया गया जो 1.88 करोड़ रूपए की राशि के ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। सीमाशुल्क विभाग ने बताया कि इसमें से 83.29 लाख रूपए की राशि के शुल्क के लिए मांग नोटिस जारी किया गया, वसूली विवरण प्रतीक्षित हैं।

v) चेन्नई कमिश्नरी में एक ई पी सी जी लाइसेंस धारक ने लाइसेंस में यथाविनिर्दष्ट 0.63 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के ऊनी वस्त्रों की बजाए 100 प्रतिशत सूती बुने हुए पुलओवर, स्वेटर/शर्ट (लाइसेंसशुदा निर्यात उत्पाद के अलावा) का निर्यात करके अक्तूबर 1992 में जारी लाइसेंस के प्रति फरवरी 1998 तक 0.42 मिलियन अमरीकी डालर तक आंशिक रूप से निर्यात बाध्यता पूरी की। इसके परिणामस्वरूप निर्यात बाध्यता का पालन नहीं हुआ। 50.31 लाख रूपए की राशि के ब्याज के साथ शुल्क रियायत वसूल की जानी है। सीमाशुल्क विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 1999) कि जुलाई 1999 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और यह कि निर्यात उत्पाद के संशोधन के लिए निर्यातक ने म.नि.वि.व्या. से सम्पर्क किया था। म.नि.वि.व्या. से आगे उत्तर प्रतीक्षित है।

vi) लुधियाना की एक फर्म को 4.80 करोड़ रूपए के ला.बी.भा. मूल्य के लिए जुलाई 1993 में एक लाइसेंस जारी किया गया था जिसकी प्रति वर्ष 1.17 मिलियन अमरीकी डालर के औसत निर्यात के साथ निर्यात बाध्यता 5.90 मिलियन अमरीकी डालर थी। 5.90 मिलियन अमरीकी डालर के लिए प्रस्तुत निर्यात विवरण और 2.35 मिलियन अमरीकी डालर के औसत निर्यात से पता चला कि 0.23 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात जो पूंजीगत माल के आयात से पूर्व किया गया था उसमें शामिल था और सम्पूर्ण निर्यात लाइसेंस में यथा विनिर्दिष्ट सूती मिश्रित धागों की बजाय धागों का था। विभाग ने उचित विनिर्देशनों का आगे सत्यापन किए बिना यूनिट के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया और कानूनी वचनबद्धता (एल यू टी) निर्मुक्त कर दी। एस हैसियत से यूनिट लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए 1.59 करोड़

रूपए के ब्याज के साथ शुल्क के लिए दायी थी। इसे अगस्त 1999 में विभाग को बताया गया था उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

ग) अपात्र माना गया निर्यात

कलकत्ता कमिश्नरी में जून 1993 में एक लाइसेंस जारी किया गया था जिसकी निर्यात बाध्यता 1.18 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारिती की गई। लाइसेंसधारी ने 1.28 मिलियन अमरीकी डालर का माल निर्यात किया जिसमें 1 अप्रैल 1995 से पूर्व किए गए 0.20 मिलियन अमरीकी डालर का माना गया निर्यात शामिल था। चूंकि माने गये निर्यात 1 अप्रैल 1995 से पूर्व निर्यात बाध्यता के पालन के लिए पात्र नहीं थे इसलिए निर्यात बाध्यता 8.7 प्रतिशत तक कम पूरी की गई और लाइसेंसधारी 24.24 लाख रूपए के ब्याज सहित 42.97 लाख रूपए की राशि के शुल्क के लिए दायी था। इसे सितम्बर 1999 में विभाग को बताया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

2.9 भ्रामक निर्यात विवरण का प्रस्तुतीकरण

परिशिष्ट XV के अंतर्गत घोषणा के खंड V और VI के अनुसार लाइसेंसधारी लाइसेंस निर्मुक्त करने के लिए प्रमाणित निर्यात विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। गलत सूचना देना लाइसेंसधारी को एल यू टी की शर्त VIII और एफ टी (डी एण्ड आर) अधिनियम 1992 के पैरा 11(2) में विनिर्दिष्ट शास्तिक कार्रवाई के लिए दायी बनाता है।

क) नवम्बर 1991 से जुलाई 1993 के दौरान कुल 21.94 करोड़ रूपए के पूंजीगत माल के आयात के लिए एक फर्म (दिल्ली कमिश्नरी) को पांच ई पी सी जी लाइसेंस जारी किए गए थे जिसकी 251.27 मिलियन अमरीकी डालर के औसत निर्यात बाध्यता के साथ अतिरिक्त निर्यात बाध्यता 33.13 मिलियन अमरीकी डालर थी। 4 लाइसेंसों के संबंध में एल यू टी विभाग द्वारा निर्मुक्त किए गए थे। (जुलाई 1995/जून 1997)। 182.14 मिलियन अमरीकी डालर (अर्थात अतिरिक्त + औसत) की निर्यात बाध्यता को पूरी करने के लिए प्रस्तुत निर्यात विवरण की संवीक्षा से पता चलाः

i) कि 3.43 मिलियन अमरीकी डालर के ला बी भा मूल्य के 75 लदान बिल (मार्च से जुलाई 1994) दोनों लाइसेंसों संख्या 2100251 दिनांक 10 जुलाई 1992 और 2130501 दिनांक 19 अप्रैल 1993 के लिए निर्यातक द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त निर्यात की सूची में शामिल थे। वही 75 लदान बिल लाइसेंस संख्या 2130748 दिनांक 27 जुलाई 1993 के प्रति औसत निर्यात के पालन हेतु निर्यात विवरण में दिखाए गए थे।

ii) 2.98 मिलियन अमरीकी डालर के ला.बी.भा. मूल्य के 92 लदान बिल लाइसेंस सं. 2128951 दिनांक 10 दिसम्बर 1991 के प्रति अतिरिक्त निर्यात तथा औसत निर्यात के निर्यात विवरण मे दिखाए गए थे।

iii) लाइसेंस सं. 2100251 दिनांक 10 जुलाई 1992, संख्या 2130748 दिनांक 27 जुलाई 1993 और संख्या 2128519 दिनांक 7 नवम्बर 1991 के निर्यात विवरण में शामिल क्रमशः 3.85 मिलियन अमरीकी डालर, 0.06 मिलियन अमरीकी डालर और 7.42 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात लाइसेंस जारी करने के पहले किए गए थे। उसी रूप में ये निर्यात बाध्यता के पालन के योग्य नहीं हैं।

इसलिए विभाग ने लदान बिलों के ब्यौरे के उचित सत्यापन के बिना चार लाइसेंसों में एल यू टी निर्मुक्त किया। इसके अतिरिक्त एक लाइसेंस से अधिक के लिए निर्यात बाध्यता का वहन प्रमाणित करने के लिए उन्हीं लदान बिलों का बार बार और बड़े पैमाने पर उपयोग की लाइसेंसधारी की कार्रवाई कपटपूर्ण है। 16.20 करोड़ रूपए के ब्याज के साथ 10.99 करोड़ रूपए की शुल्क रियायत का समस्त लाभ वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त वह कुल 109.70 करोड़ रूपए के आयातित पूंजीगत माल के मूल्य का पांच बार भ्रामक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एफ टी (डी एण्ड आर) अधिनियम 1992 के पैरा 11(2) के साथ पठित क्रियाविधि की नियमपुस्तिक (खंड-I) के परिशिष्ट XV के अंतर्गत घोषणा के अनुसार शास्ति के योग्य है।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी का उत्तर (15 अक्तूबर 1999) कि लाइसेंस सं. 2100251 के प्रति अतिरिक्त निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए लदान बिलों को लाइसेंस सं. 2130501 के प्रति अतिरिक्त निर्यात बाध्यता की पूर्ति हेतु निर्यात विवरण में दोहराया नहीं गया है, लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत निर्यात विवरण की जांच पर आधारित नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा मामले पर कार्रवाई करने पर विभाग ने संशोधित निर्यात विवरणों को प्रस्तुत करने का फर्म को एक बार पुनः निदेश दिया (मार्च 2000)।

ख) दिल्ली कमिश्नरी में जनवरी 1992/फरवरी 1993 के दौरान औसत निर्यात बाध्यता के रूप में प्रतिवर्ष 1.49 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त क्रमशः 0.84 मिलियन अमरीकी डालर और 0.29 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता के साथ 54.76 लाख रूपए और 20.27 लाख रूपए के ला बी भा मूल्य हेतु दिल्ली कमिश्नरी में दो ई पी सी जी लाइसेंस जारी किए गए थे। निर्यातक ने 1.06 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता की कमी रखकर 1.56 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता पूरी की है। निर्यातों के विवरण की संवीक्षा से पता चला कि लाइसेंसधारी ने इन दो लाइसेंसो के लिए निर्यात बाध्यता की पूर्ति हेतु निर्यात विवरण के उन्हीं सेटों को प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्यात विवरण का शुल्क की रियायती दर प्राप्त करने के लिए कपटपूर्ण उपयोग किया गया था। विभाग ने निर्यात बाध्यता की पूर्ति न करने के लिए 43.90 लाख रूपए के ब्याज के साथ 28.77 लाख रूपए की राशि के शुल्क की वसूली के लिए किसी भी लाइसेंसधारी के खिलाफ बैंक गारंटी के प्रवर्तन के लिए कार्रवाई नहीं की थी। इसके अतिरिक्त कुल 3.78 करोड़ रूपए आयात का पांच बार तक भ्रामक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एफ अ (डी एण्ड आर) अधिनियम 1992 के पैरा 11(2) के साथ पठित क्रियाविधि की नियमपुस्तक (खंड-I) के परिशिष्ट XV के अंतर्गत घोषणा के अनुसार शास्ति लिए दायी था।

2.10 निर्यात बाध्यता का गलत नियतन

आयात-निर्यात नीति 1990-93 के पैरा 197 और एक्जिम पॉलिसी 1992-97 के पैरा 41 के अंतर्गत एक आयातक को निर्यात बाध्यता अवधि के दौरान लाइसेंस में यथाविनिर्दिष्ट पिछले तीन वर्ष के निर्यात निष्पादन के आधार पर निर्यात का औसत स्तर बनाए रखना अपेक्षित हैं और निर्धारित निर्यात बाध्यता औसत निष्पादन के अतिरिक्त प्राप्त करनी थी। लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय तथ्यों की गलत घोषणा करने की स्थिति में आयातक क्रियाविधियों नियमपुस्तक खंड-I के परिशिष्ट के अनुसार लाइसेंस अप्रभावी करने के अलावा एफ टी (डी एण्ड आर) अधिनियम 1992 और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के पैरा 11(2) के अधीन शास्तिक कार्रवाई के योग्य है।

क) कलकत्ता सीमाशुल्क गृह में सितम्बर 1991 में दो लाइसेंस जूट उत्पादों के एक विनिर्माता को जारी किए गए थे। वर्ष 1989-90 से 1991-92 के लिए सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र में लिखित औसत निर्यात निष्पादन के आधार पर निर्यात बाध्यता 0.30 मिलियन अमरीकी डालर (दो लाइसेंसों के लिए वही) तय की गई थी। लेखापरीक्षा में फर्म के वार्षिक लेखाओं के सत्यापन से पता चला कि उक्त वर्ष 1989-90 के लिए निर्यात का ला. बी. भा. मूल्य कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्यात के औसत स्तर के प्रस्तावित नियतन के लिए लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए प्रामणपत्र में दर्शाये गए 0.94 लाख रूपए के प्रति प्रस्तुत लेखाओं में टिप्पणी के अनुसार 94.11 लाख रूपए था। इसप्रकार औसत निर्यात निष्पादन 0.56 मिलियन अमरीकी डालर की बजाए 0.30 मिलियन अमरीकी डालर के रूप में गलत नियत किया गया था।

ख) हैदराबाद-I कमिश्नरी में एक बल्क ड्रग विनिर्माता को 14 मार्च 1998 तक 0.24 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता के साथ 21.51 लाख रूपए के ला.बी.भा. मूल्य के लिए मार्च 1993 में एक ई पी सी जी लाइसेंस जारी किया गया था लाइसेंसधारी को आवेदन के अनुसार 0.54 मिलियन अमरीकी डालर का औसत निर्यात निष्पादन बनाए रखना अपेक्षित था। वर्ष 1989-90 से 1991-92 के लिए लाइसेंस के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वास्तव में औसत निष्पादन 0.66 मिलियन अमरीकी डालर था। इसलिए पिछला औसत निर्यात निष्पादन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा गलत नियत किया गया था। तब भी लाइसेंसधारी की निर्यात बाध्यता 0.90 मिलियन अमरीकी डालर के प्रति निर्यात निष्पादन 0.81 मिलियन अमरीकी डालर था जिससे शेष 0.09 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता पूरी नहीं हुई।

ग) मुम्बई कमिश्नरी में मार्च 1992 में एक फर्म को को जारी एक लाइसेंस के संबंध में यह जानकारी में आया कि औसत निर्यात बाध्यता उसी स्तर पर गलत नियत की गई थी जिस पर अतिरिक्त निर्यात अर्थात 1.08 मिलियन अमरीकी डालर किया जाना था। आयातक द्वारा दाखिल सनदी लेखाकारों के प्रमाणपत्र के अनुसार उनका वार्षिक औसत निर्यात 6.63 करोड़ रूपए अथवा 2.54 मिलियन अमरीकी डालर था। इसलिए उन्हें 1.08 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिकत निर्यात के अलावा पांच वर्षों तक कुल 12.75 मिलियन अमरीकी डालर का औसत निर्यात बरकरार रखना चाहिए था। इसके विपरीत इस फर्म ने केवल 2.14 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया, निर्यात आय में निवल कमी 11.69 मिलियन अमरीकी डालर थी।

इन तीन मामलों में आयतक पूरी निर्यात बाध्यता का वहन किए बिना योजना का लाभ लेने में समर्थ हुए। क्रमशः 58.76 लाख रूपए, 16.38 लाख रूपए और 72.39 लाख रूपए के ब्याज के साथ बचाई गई शुल्क की राशि वसूल की जानी है। उप पैरा क और ख के आयातक पिछले निष्पादन की गलत घोषणा के लिए शास्ति कार्रवाई के भी दायी हैं

फरवरी-अगस्त 1999 के दौरान इन्हें विभाग को बताया गया था और उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 1999)।

2.11 निर्यात उत्पाद का गलत नियतन

आयात-निर्यात नीति 1990-93 के पैरा 197(2) के अंतर्गत आयात के लिए अनुमत पूंजीगत माल के माध्यम से विनिर्मित उत्पाद का सीधा निर्यात ही निर्यात बाध्यता की पूर्ति हेतु गिना जाएगा।

22.12 करोड़ रूपए की निर्यात बाध्यता के साथ 7.37 करोड़ रूपए के ला.बी.भा. मूल्य के लिए दिसम्बर 1990 में दिल्ली कमिश्नरी में एक फर्म को एक ई पी सी जी लाइसेंस जारी किया गया था। लेखापरीक्षा में यह ध्यान में आया कि जबकि आयात किया जाने वाला पूंजीगत माल ग्लास प्लांट का, लाइसेंस में निर्यात उत्पादों के रूप में ग्लासवेयर के अतिरिक्त पेपर और पेपर उत्पाद विनिर्दिष्ट था। चूंकि आयातित मशीनरी ग्लास ओर ग्लासवेयर के विनिर्माण के लिए था जिसमें निर्यात उत्पाद के रूप में पेपर और पेपर उत्पाद अनुमत किया गया था जो नीति प्रावधानों के उल्लंघन में था। लाइसेंसधारी ने ग्लासवेयर की बजाए 4.17 करोड़ रूपए मूल्य के पेपर और पेपर उत्पादों का निर्यात करके 22.12 करोड़ रूपए की समस्त अतिरिक्त निर्यात बाध्यता पूरी की। इसलिए निर्यात बाध्यता एक्जिम नीति के अनुसार नहीं पूरी की गई थी और एल यू टी के विमोचन के लिए प्रस्तुत प्रोफार्मा गलत था क्योंकि निर्यात आयातित पूंजीगत माल से नहीं किए गए थे। इसलिए 12.84 करोड़ रूपए की राशि के ब्याज के साथ मुक्त शल्क की राशि वसूल की जानी थी। जब एल यू टी का विमोचन नहीं किया गया था, बैंक गारंटी जो पहले ही व्यपगत हो गई थी का वर्गीकरण नहीं किया गया था और तदनुसार बैंकरों द्वारा सरकार को सूचित नहीं किया गया था। यह अगस्त 1999 में विभाग को बताया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

2.12 लाइसेंस जारी करने से पूर्व पूंजीगत माल के आयात पर गलत छूट

आयात निर्यात नीति 1990-93 के पैरा 197 और एक्जिम पॉलिसी 1992-97 के पैरा 37 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिसूचना 169/90 दिनांक 3 मई 1990 के अनुसार ई पी सी जी योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल का आयात बैध लाइसेंस के साथ रियायती दर पर अनुमत है।

क) कोचीन सीमाशुल्क गृह में आयात-निर्यात नीति 1990-93 के अंतर्गत 26 नवम्बर 1990 और 3 मई 1991 को दो भिन्न आयातकों को दो ई पी सी जी लाइसेंस जारी किए गए थे। पूंजीगत माल क्रमशः 19 जुलाई 1990 और 5 फरवरी 1991 को अर्थात ई पी सी जी लाइसेंस दिए जाने के काफी पहले आयात किए गए थे। चूंकि सीमाशुल्क गृह से माल की निकासी ई पी सी जी लाइसेंस जारी करने के पहले की गई थी इसलिए माल की निकासी के समय शुल्क की रियायती दर का लाभ देना अनियमित था और वसूली योग्य है। ब्याज के साथ शुल्क की राशि 1.36 करोड़ रूपए बनती थी।

लेखापरीक्षा में यह विभाग को जून 1999 में बताया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

ख) एक ई पी सी जी लाइसेंस मई 1991 में मुम्बई में एक यूनिट को जारी किया गया था जिसके प्रति 22.44 लाख रूपए मूल्य के पूंजीगत माल की निकासी मार्च 1991 में अर्थात् 25 प्रतिशत के शल्क की रियायती पर लाइसेंस देने के पहले अनुमत की गई थी।

लाइसेंस की शर्त के अनुसार आयात किये जाने वाले माल पर रियायती दर इसके जारी करने की तारीख से 24 महीने के भीतर अनुमत थी। लाइसेंस जारी करने से पूर्व आयात उचित नहीं था और 41.36 लाख रूपए के ब्याज सहित 62.90 लाख रूपए की राशि के रियायत की अनियमित मंजूरी हुई। इसे विभाग को जनवरी 1999 में बताया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

2.13 बांड/बैंक गारंटी का नवीकरण न करना और अपर्याप्त कवरेज

क्रमशः 1990-93 और 1992-97 की क्रियाविधि की नियमपुस्तक के पैरा 314(4) और पैरा 102 के अनुसार सीमाशुल्क के माध्यम से पूंजीगत माल की निकासी से पहले आयातक को निर्यात बाध्यता की पूर्ति हेतु लाइसेंसिग प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी द्वारा समर्थित एक क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूर्ति बांड निष्पादित करना अपेक्षित है। बैंक गारंटी की राशि योजना के अंतर्गत बचाए गए शुल्क के पूरे मूल्य के बराबर होनी चाहिए।

बैंक गारंटी की राशि को बचाए गए शुल्क के 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया और अप्रैल 1993 से 3 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित करना चाहिए। यदि कम से कम 50 प्रतिशत निर्यात बाध्यता लाइसेंस जारी करने की तारीख से ढाई वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई तो बैंक गारंटी को तब तक प्रवर्तित और जब्त करना चाहिए जब तक वह बैंक गारंटी की समाप्ति के पहले आगे 3 वर्षों के लिए नवीकृत नहीं की जाती।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 4 कमिश्नरियों में 44 मामलों में बैंक गारंटी व्यपगत हो गई थीं या पर्याप्त नहीं थीं। परिणामतः 21.32 करोड़ रूपये के राजस्व का जोखिम प्रकट करता है कमिश्नरीवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैः-

क) बैंक गारंटी का नवीकरण न करना/व्यपगत होना

कमिश्नरी	मामलों की संख्या	गारंटी का मूल्य (करोड़ रूपए में)
कलकत्ता	24	7.11
चेन्नई	12	12.11
हैदराबाद	1	0.08
दिल्ली	1	1.10

हैदराबाद कमिश्नरी के एक मामले में म नि वि व्या ने आपत्ति स्वीकार कर ली है (अक्तूबर 1999)।

ख) अपर्याप्त बैंक गारंटी

कमिश्नरी	मामलों की संख्या	गारंटी के मूल्य में कमी (करोड़ रूपए में)
कलकत्ता	6	0.92
जोड (क) और (ख)	44	21.32

2.14 सीमाशुल्क की वसूली पर ब्याज की वसूली न करना

1990-93 और 1992-97 के लिए क्रियाविधियों की नियमपुस्तक के पैरा 314 (क)(8) और पैरा 106 के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारित निर्यात बाध्यता पूरी न करने या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बांड/विधिक वचन का आश्रय लेना चाहिए और बैंक गारंटी जब्त कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारी प्रथम आयात की तारीख से भुगतान की तारीख तक बचाए गए शुल्क की राशि पर प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत पर ब्याज अदा करने के लिए दायी था। उपर्युक्त के अलावा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, इसके आदेशों, नियमों और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत शास्तिक कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार 2.16 करोड़ रूपए के ब्याज की वसूली न करने का पता चलाः

(लाख रूपए में)

क्रम संख्या	ाइसेंस संख्या एवं दिनांक	सीमाशुल्क गृह	वसूल किया गया शुल्क	वसूल न किया गया ब्याज
1	2127936 दिनांक 13.6.1991	कलकत्ता	13.32	16.43
2.	2130626 दिनांक 4.6.1993	- वही-	28.60	28.26
3.	2129181 दिनांक 22.1.1992	- वही -	18.00	24.49
4.	2127105 दिनांक 22.2.1991	हैदराबाद	51.70	71.57
5.	2131271 दिनांक 5.11.1993	- वही-	7.17	12.20
6.	2100404 दिनांक 5.8.1992	चेन्नई	131.97	1.19
7.	2130606 दिनांक 27.5.1993	-वही-	31.09	61.40
	जोड़		281.85	215.54

क्रम संख्या 4 के मामले में म नि वि व्या ने आपत्ति स्वीकार कर ली (अक्तूबर 1999) और बताया कि ब्याज के भुगतान के लिए पार्टी को मांग नोटिस पहले ही जारी कर दिए गए हैं, वसूली विवरण प्रतीक्षित हैं।

2.15 लाइसेंस की शर्तों का पूरा न करना

ई पी सी जी लाइसेंस का आवेदन करते समय निर्यातक द्वारा दिया गया एक वचन है कि वह सरकार द्वारा लगाई गई कोई भी शर्त (क्रियाविधियों की नियमपुस्तक का परिशिष्ट XV खंड I) पूरी करेगा।

क) हैदराबाद I कमिश्नरी में एक यूनिट को रबड मिश्रण के विनिर्माण और निर्यात के लिए नवम्बर 1992 और मार्च 1993 में दो आयात लाइसेंस जारी किए गए थे। 81.40 लाख रु मूल्य के पूंजीगत माल के आयात के बाद लाइसेंसधारी ने रबड़ मिश्रण से साइकिल टायरों और ट्यूबों में निर्यात उत्पाद के परिवर्तन के लिए म नि वि व्या से अनुरोध किया। इस अनुरोध को स्वीकार करते समय म नि वि व्या ने एक शर्त लगाई कि लाइसेंसधारी को अपने साइकिल टायरों और ट्यूबों के वार्षिक उत्पादन का 75 प्रतिशत निर्यात करना चाहिए। एल यू टी का निर्यात बाध्यता के पूरा होने पर नवम्बर 1998 में विमोचन किया गया।

लाइसेंसो/अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 216.37 लाख टायरों और ट्यूबों (1996-97 और 1997-98 के वार्षिक उत्पाद का 75 प्रतिशत) की निर्धारित संख्या के प्रति लाइसेंसधारी ने केवल 39.90 लाख का निर्यात किया जिससे 176.47 लाख की कमी रही। इसे बताए जाने पर म नि वि व्या नई दिल्ली ने उत्तर दिया कि साइकिल टायरों और ट्यूबों के वार्षिक उत्पादन के 75 प्रतिशत के निर्यात की शर्त माफ कर दी गई थी क्योंकि यूनिट लघु पैमाने की यूनिट थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यूनिट लघु पैमाने का उद्योग नहीं था क्योंकि 1996-97 और 1997-98 के लिये कुल बिक्री 53.39 करोड़ रु और 68.79 करोड़ रु थी और यूनिट की परिसम्पत्ति 5 करोड रु से अधिक थी। इसलिए कुल 70.82 लाख रुपये के शुल्क और ब्याज वसूली योग्य है।

ख) दिल्ली कमिश्नरी में 5.20 मिलियन अमरीकी डॉलर की निर्यात बाध्यता के साथ 3.38 करोड़ रु के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिये दिसम्बर 1991 में एक फर्म को एक ई पी सी जी लाइसेंस जारी और जुलाई 1992 में पृष्ठांकित किया गया था। इसके अतिरिक्त विदेशी सहयोग की एक शर्त लगाई गई थी कि फर्म को पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 2.24 मिलियन अमरीकी डॉलर से अनधिक निर्यात करके विदेशी मुद्रा

अर्जित की जानी चाहिए। 7.44 मिलियन अमरीकी डालर की कुल निर्यात बाध्यता के प्रति आखिरी लदान की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर परिकलित 6.97 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर हुई 21.99 करोड़ रु के माल का लाइसेंसधारी द्वारा निर्यात किया गया था। चूंकि कम्पनी अपनी निर्यात बाध्यता पूरी करने में विफल रही इसलिए कम्पनी 5.81 करोड़ रु के ब्याज के साथ शुल्क रियायत की राशि चुकाने के लिये दायी थी। तथापि 1.18 करोड़ रु की बैंक गारंटी वसूली किए बिना 22 नवम्बर 1996 को निर्मुक्त की गई थी।

इसे बताए जाने पर (अगस्त 1999) डी जी एफ टी ने बताया (जनवरी 2000) कि लाइसेंसधारी ने 18.53 करोड़ रु की निर्यात बाध्यता के प्रति 21.99 करोड़ रु की निर्यात बाध्यता पूरी की। 18.53 करोड़ रु की निर्यात बाध्यता लाइसेंस जारी करने के समय पर प्रचलित 24.90 रु की विनिमय दर को लेकर परिकलित की गई थी। वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 17 जून 1991 के परिपत्र संख्या 3/91 के अनुसार आखिरी परेषण के लदान के समय पर प्रचलित विनिमय दर के आधार पर रुपये के रूप में निर्यात बाध्यता 23.48 करोड़ रु बनती है जिसके प्रति लाइसेंसधारी ने केवल 21.99 करोड़ रु का निर्यात कर सका। डी जी एफ टी ने निर्यातक को रुपये के अवमूल्यन का लाभ देने का प्रयास किया है जिसके द्वारा डालर के रूप में उसकी निर्यात बाध्यता कम कर दी गई।

सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने यह भी उल्लेख किया कि निर्यात उत्पाद उनकी मालनपुर यूनिट द्वारा एक मात्र विनिर्मित नहीं थे जहाँ पूंजीगत माल प्रतिष्ठापित किये गए थे जैसाकि एक्जिम नीति 1992-97 के पैरा 41(1) के अन्तर्गत अपेक्षित था। इस यूनिट ने 7.44 मिलियन अमरीकी डालर की कुल निर्यात बाध्यता के प्रति मालनपुर यूनिट से कुल मिलाकर 5.43 मिलियन अमरीकी डालर के माल का 1994-95 तथा 1999-2000 के बीच निर्यात किया है परिणामस्वरूप 2.01 मिलियन अमरीकी डालर तक कमी हुई। निर्यात बाध्यता अवधि में वृद्धि नियमित नहीं की गई है।

इसलिए फर्म अपनी निर्यात बाध्यता पूरी करने में विफल रही और ब्याज सहित 5.81 करोड़ रु चुकाने के लिए दायी है।

2.16 अन्य अनियमिततायें

क) ई पी जेड यूनिट में डी टी ए यूनिट का अनियमित परिवर्तन

कलकत्ता सीमाशुल्क गृह में 95.20 लाख रुपये के ला बी भा के लिये एक्जिम नीति 1992-97 के अन्तर्गत 11 मई 1993 को एक ई पी सी जी लाइसेंस जारी किया गया था। लाइसेंस धारी ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात बाध्यता पूरी नहीं की थी। तथापि ई पी जेड यूनिट, जहाँ पूँजीगत माल प्रतिष्ठापित किये गये थे, ने 31 मार्च 1999 तक 1.62 करोड़ रु का निर्यात किया था जबकि ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत 3.49 मिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात के औसत स्तर सहित 4.85 मिलियन अमरीकी डॉलर की निर्यात बाध्यता निर्धारित थी। चूंकि लाइसेंसधारी निर्धारित निर्यात बाध्यता का पूर्णरूपेण पालन करने में विफल रहा इसलिये 48.72 लाख रु की राशि के ब्याज के साथ शुल्क की राशि वसूल की जानी अपेक्षित थी।

इसे सितम्बर 1999 में विभाग को बताया गया था। उनका उत्तर प्रतिक्षित है।

ख) के वी एस एस के अंतर्गत मामले का निपटारा

सूरत कमिश्नरी में 1.03 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता के साथ मई 1991 में एक ई पी सी जी लाइसेंस जारी किया गया था यद्यपि लाइसेंस धारी ने 0.55 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक निर्यात बाध्यता पूरी की थी परन्तु केवल 0.16 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात निर्धारित अवधि (मई 1995) के दौरान किये गये थे। लाइसेंस धारी ने 36.36 लाख रूपये के छोड़े गये शुल्क के प्रति 40 लाख रूपए की बैंक गारंटी निष्पादित की थी। निर्धारित निर्यात बाध्यता पूरी न करने के कारण लाइसेंसधारी को 1.05 करोड़ रूपये की राशि के ब्याज के साथ शुल्क अदा करना अपेक्षित था। लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा बैंक गारन्टी जब्त करने और वसूली करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी बजाय इसके 3 फरवरी 1998 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तदनन्तर लाइसेंसधारी ने कर विवाद समाधान योजना का विकल्प दिया और 18.18 लाख रूपए की राशि की शुल्क देयता का 50 प्रतिशत अदा किया।

चूंकि ई पी सी जी योजना के अंतर्गत शुल्क की राशि विवाद का मामला नहीं है इसलिये कर विवाद समाधान योजना के अंतर्गत इसका निपटारा उसके प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता। बैंक गारन्टी जब्त करके शुल्क की उगाही के लिये समय से कार्यवाही करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 86.56 लाख रूपये (104.74 लाख रूपये - 18.18 लाख रूपये) की कम उगाही हुई और लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ मिला।

ग) निर्यात माल की नकारात्मक सूची पर लाइसेंस का गलत जारी करना

मुम्बई कमिश्नरी में 0.56 मिलियन अमरीकी डालर के ला बी भा मूल्य के लिये 'हाइड्रो जनरेशन निकिल केटालिस्ट' के निर्यात के लिये एक फर्म को (जून 1990 और जुलाई 1991) दो ई पी सी जी लाइसेंस जारी किये गये थे। लाइसेंसधारी, पांच वर्षों की बाध्यता अवधि के दौरान निर्यात बाध्यता पूरी नहीं कर सका क्योंकि निर्यात उत्पाद नकारात्मक सूची के अंतर्गत रखे गये थे। बाद में लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जारी विशेष लाइसेंस के आधार पर लाइसेंसधारी ने 0.06 मिलियन अमरीकी डालर का आंशिक निर्यात किया (मार्च 1999)। आयातक निर्यात बाध्यता पूरी करने में विफल होने के कारण कुल 1 करोड़ रूपये की शुल्क रियायत और ब्याज अदा करने के लिये उत्तरदायी है। इसे फरवरी 1999 में विभाग को बताया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित हैं।

घ) गलत निर्यात विवरण की स्वीकृति

दिल्ली कमिश्नरी के अंर्तगत वीडियो सॉफ्टवेयर के विनिर्माता को क्रमश 0.98 मिलियन अमरीकी डालर और 3.85 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता के साथ अप्रैल 1993 में दो लाइसेंस जारी किये गये थे। मार्च 1998 के दौरान लाइसेंसधारी ने 0.68 मिलियन सिंगापुर डालर और 0.44 मिलियन सिंगापुर डालर (1.12 मिलियन सिंगापुर डालर) में अपना निर्यात विवरण दाखिल किया और विभाग ने उसे अमरीकी डालर के रूप में स्वीकार्य किया जिसके परिणामस्वरूप 4.05 मिलियन अमरीकी डालर (83.9 प्रतिशत) की समग्र कमी के साथ सिंगापुर डालर का अमरीकी डालर में परिवर्तित मूल्य में अन्तर के संबंध में 0.34 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता कम पूरी की गई इसलिये आयतक कुल 2.30 करोड़ रूपये की शुल्क रियायत और ब्याज अदा करने के लिये दायी है।

इसे सितम्बर 1999 में विभाग को बताया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

ड) *लाइसेंस का अनियमित संशोधन*

132 के वी तक पी आई एल सी /एक्स एल पी ई पावर केबल के निर्यात के लिये 2.39 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता के साथ 1.46 करोड़ रूपये के ला बी भा मूल्य के लिये मुम्बई में एक यूनिट को एक ई पी सी जी लाइसेंस जारी किया गया था। औसत निर्यात बाध्यता की 24.66 मिलियन अमरीकी डालर के रूप में नियत की गई थी। निर्यात बाध्यता अवधि फरवरी 1996 में समाप्त हुई थी। जून 1996 में लाइसेंस में संशोधन करते हुये नियत औसत निर्यात बाध्यता रूपया भुगतान क्षेत्र निर्यात को छोड़कर शून्य कर दी गयी थी। फर्म ने अकतूबर 1990 से फरवरी 1991 की अवधि के दौरान हुये 2.71 करोड़ रूपये और अक्तूबर 1996 के दौरान किये गये 1.67 करोड़ रूपये के माने गये निर्यात के लिये निर्यात विवरण प्रस्तुत किया। इनमें से केवल 11.43 लाख रूपये का सीधा निर्यात निर्यात बाध्यता की पूर्ति हेतु समर्थ था क्योंकि अन्य निर्यात पूंजीगत माल के निर्यात की पूर्व अवधि से संबंधित हैं अथवा निर्यात बाध्यता अवधि की समाप्ति के बाद किये गये माने गये निर्यात हैं। ये सीधे निर्यात जब ए एल सी परिपत्र संख्या 3/91 दिनांक 17 जून 1991 में यथा निर्धारित गत लदान की तारीख को अमरीकी डालर में परिवर्तित किये गये तो 0.37 मिलियन अमरीकी डालर बनते थे जो नियत निर्यात बाध्यता का केवल 1.5 प्रतिशत है।

निर्यात बाध्यता अवधि के पूरा होने के बाद लाइसेंस का संशोधन भी उचित नहीं था क्यांकि औसत निर्यात बाध्यता अवधारित करने के लिये रूपया भुगतान क्षेत्र निर्यात को शामिल न करने के प्रावधान केवल मार्च 1999 से लागू हुआ (31 मार्च 1999 को संशोधित एक्जिम नीति)। सितम्बर 2000 तक बैंक गारन्टी बढ़ाने के लिये लाइसेंसधारी से कहकर निर्यात बाध्यता अवधि के विस्तार पर विचार करने की विभाग की कार्यवाही उचित नहीं है और निर्यात बाध्यता को पूरा न करने के लिये लाइसेंसधारी 2.11 करोड़ रूपये के ब्याज के साथ 1.24 करोड़ रूपये की राशि के शुल्क के लिये उत्तर दायी था।

इसे अगस्त 1999 में विभाग को बताया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

2.17 ई पी सी जी योजना का अप्रभावी मानीटरन

आयात और निर्यात उगाही के वास्तविक मूल्य का प्रभावी मानीटरन इस योजना की सफलता के लिए निर्णायक है। इसके अतिरिक्त क्योंकि निर्यात आयात से अतिरिक्त पत्तन से हो सकता है, सीमाशुल्क प्राधिकारियों के लिये संबंध स्थापित करना और निर्यात निष्पादन मानीटर करना कठिन होगा।

क्रियाविधि नियमपुस्तक 1990-93 के पैरा 314(क) और नियम पुस्तक क्रियाविधि 1992-97 के पैरा 104/105 के अनुसार लाइसेंस धारक महानिदेशक विदेश व्यापार, नई दिल्ली में निर्यात बाध्यता प्रकोष्ठ को नियमित रूप से सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए निर्यात को छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अधिसूचना 169/90 दिनांक 3 मई 1990 के साथ पठित आयात और निर्यात नीति 1990-93 के पैरा 197 के अनुसार आयातक द्वारा दिया गया बांड और बैंक गारंटी महानिदेशक विदेश व्यापार के निर्यात बाध्यता प्रकोष्ठ को स्थानान्तरित करना चाहिए जो पूरी की गई निर्यात बाध्यता का मानीटरन करेगा।

महानिदेशक विदेश व्यापार के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कलकत्ता मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली कमिश्नरी में नमूना जांच किए गए 304 मामलों में से 89 मामलों (30 प्रतिशत) में छमाही विवरण प्राप्त नहीं हुए थे। 141 मामलों में विवरण नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रहे थे और केवल 74 मामलों (24 प्रतिशत) के संबंध में विवरण नियमित रूप से प्राप्त हो रहे थे।

क्रियाविधि की नियमपुस्तक 1992-97 खंड-I के पैरा 106 में व्यवस्था है कि निर्यात बाध्यता अथवा लाइसेंस की कोई भी शर्त अनुबद्ध अवधि के भीतर पूरी न करने के मामले में एल यू टी और बैंक गारंटी प्रवर्तित की जाएगा। उसी समय अन्य कार्रवाई जो वि व्या (डी एण्ड आर) अधिनियम 1992, इसके आदेशों, नियमों और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत की जा सकती है के अतिरिक्त एक सूचना जामिन के साथ बांड और प्रतिभूति की जब्ती के लिए सीमाशुल्क को भेजी जाएगी।

2.18 पर्याप्त समन्वय के बिना दोहरा नियंत्रण

ई पी सी जी योजना के कार्यान्व्यन में दो प्राधिकरणों अर्थात डी जी एफ टी और सीमाशुल्क का समन्वित कार्यचालन अपेक्षित है। तथापि निर्यात बाध्यता का मानीटर करने और शुल्क की वसूली के लिये बी जी/एल यू टी का प्रवर्तन करने के लिए उत्तरदायी लाइसेंस प्राधिकारी (डी जी एफ टी) के पास आयात/निर्यात ब्यौरे जानने के लिये कोई तन्त्र नहीं था जब तक कि योजना के प्रयोक्ताओं द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते थे। बाध्यताएं लाइसेंसधारकों से प्राप्त द्वितीयक सूचना के आधार पर पूरी की गई थीं न कि सीधे सीमाशुल्क विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर। दूसरी ओर सीमाशुल्क प्राधिकरण ने आयातित/निर्यातित माल निर्बाधित कर दिया परन्तु बाध्यता की वास्तविक पूर्णता निश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं सुझायी यद्यपि निर्यात बाध्यता को पूरा न किये जाने से आयतक सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के अनुसार विभिन्न शुल्क के भुगतान के लिये उत्तरदायी बनता है। लाइसेंस और सीमाशुल्क प्राधिकारियों के बीच दोषी निर्यातकों से संबंधित सूचना के अदान प्रदान की कोई औपचारिक प्रणाली भी नहीं थी। फलस्वरूप यद्यपि दोषी निर्यातकों से 438.14 करोड़ रूपये की राशि वसूली योग्य थी फिर भी केवल 2.00 करोड़ रूपये की राशि वास्तव में वसूल की गई थी।

समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय को नवम्बर 1999 में भेजी गई थी। पैरा 2.6 के उत्तर में वित्त मंत्रालय ने बताया कि वो मूल अधिसूचनाओं संख्या 169/90, 160/92 तथा 307/92-सी शु के संशोधन का प्रस्ताव कर रहे है। प्रस्ताव का परिणाम और अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है।

अध्याय 3 : अवमूल्यांकन के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण

3.1 निर्धार्य मूल्य का गलत अपनाया जाना

क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65(2)(ख) में प्रावधान है कि यदि उपधारा (1) के अंतर्गत किसी भांडागारित माल के संबंध में अनुज्ञेय किन्हीं प्रचालनों के समय कोई रद्दी या अस्वीकरण रहता है और ऐसे प्रचालनों के परिणामस्वरूप निकलने वाले पूरे माल या माल के किसी भाग की देशी खपत के लिए निकासी की जाती है तब देशी खपत के लिए निकासी किए गए माल के संबंध में उतनी रद्दी या अस्वीकरण, जो किए गए प्रचालनों से उद्भूत हुआ है, में अन्तर्विष्ट भांडागारित माल की मात्रा के संबंध में मूल्य पर आयात शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

शिप बिल्डिंग कार्यकलाप से उत्पन्न और कोचीन कमिश्नरी में एक शिपयार्ड के सीमाशुल्क के बंधक भांडागार से निकासी किए गए 1200 टन एम.एस. स्क्रैप पर शुल्क स्क्रैप में अन्तर्विष्ट आयातित एम एस प्लेटों के बिक्री मूल्य और न कि आनुपातिक सी आई एफ मूल्य के आधार पर उद्गृहीत किया गया। शुल्क के निर्धारण के लिए अपनाया गया स्क्रैप का मूल्य 1998 के दौरान आयातित एम एस प्लेटों (रद्दी में अन्तर्विष्ट भांडागारित माल) के आनुपातिक औसत मूल्य की बजाय प्रतिटन 6200 रूपए और प्रति टन 6500 रूपए के बीच था। अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप जनवरी 1998 और फरवरी 1999 के बीच 5 आगम पत्रों के प्रति निकासियों पर 76.71 लाख रूपए के सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (मार्च 1999) विभाग ने बताया (अगस्त 1998) कि शुल्क देयता के अवधारण के लम्बित होने तक शिप बिल्डिंग स्क्रैप की अनुमति मात्र अनन्तिम होती है और कि लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गयी आपत्ति असामयिक होती है। अनन्तिम निर्धारणों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है हालांकि बी ई 1997-98 के दौरान दाखिल किए गए थे जिसके कारण सरकारी राजस्व अवरूद्ध हुआ।

ख) अक्तूबर 1998 में आयातित और उपशीर्ष 8525.20 के अंतर्गत वर्गीकरणीय "ट्रांसमिशन इक्विपमेंटस " के परेषण का निर्धार्य मूल्य एक अप्रमाणित बीजक में दिए गए मूल्य के आधार पर अपनाया गया जिस के परिणामस्वरूप 2.37 लाख रूपए का अवमूल्यांकन और कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त माल के एक भाग को सीमाशुल्क टैरिफ के उपशीर्ष 8525.20 के अंतर्गत निर्धारित करने की बजाय उपशीर्ष 8525.90 के अंतर्गत ट्रांसमिशन इक्विपमेंटस के भाग के रूप में निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 0.23 लाख रूपए का कम उद्ग्रहण हुआ। अक्तूबर 1998 में आयातित माल पर कुल कम उद्ग्रहण 2.60 लाख रूपए बनता था।

अनियमितता मार्च 1999 में लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई थी; विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1999)

ग) मंगलोर कमिश्नरी में एक शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम ने एक सीमाशुल्क गृह के माध्यम से जून 1995 में घिसे-पिटे और प्रयुक्त टायरों की निकासी की। माल को वास्तव में बेचे गए मूल्य की बजाय कम मूल्य अपनाकर निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप जून 1995 के दौरान 4.25 लाख रूपए का कम उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1997) में बताए जाने पर विभाग ने जून 1998 में मांग की जिसकी अप्रैल 1999 में पुष्टि की गयी।

3.2 निर्धार्य मूल्य में सर्विस चार्ज का शामिल न किया जाना

सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) नियमावली, 1988 के नियम 3(i) के अनुसार आयातित माल का मूल्य संव्यवहार मूल्य होगा। खुले समुद्र में खरीदे गए माल के संव्यवहार मूल्य में मूल क्रेता द्वारा प्रदत्त संव्यवहार मूल्य के अतिरिक्त आयातक द्वारा व्यय किए गए कमीशन प्रभार शामिल होंगे।

चेन्नई-I, समुद्री कमिश्नरी में आयातित 10500 टन, "फुली रिफाइन्ड पेराफिन वेक्स टाईप- II " को खुले समुद्र में बिक्री आधार पर बेचा गया। अन्तिम क्रेता द्वारा प्रदत्त सर्विस चार्ज को निर्धार्य मूल्य की संगणना के लिए हिसाब में लेने से छोड़ दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 8.44 लाख रूपए के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (अक्तूबर 1996) विभाग ने आपत्ति स्वीकार की और 1.48 लाख रूपए की वसूली की। शेष राशि की वसूली प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1999)।

अध्याय 4 : गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण

माल के गलत वर्गीकरण से उद्भूत सीमाशुल्क के कम उद्ग्रहण के कुछ निदर्शी मामलों का नीचे संक्षेप में उल्लेख किया गया है:

4.1 इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक मशीनरी

इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर

अध्याय 39 के अंतर्गत टिप्पणी 2(त) के अनुसार किसी सामग्री का 'इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर' सीमाशुल्क टैरिफ के शीर्ष 85.46 के अंतर्गत वर्गीकरण के योग्य होता है। इस वर्गीकरण का सी सी ई, हैदराबाद बनाम बाकलाईट हाइलम लि.(1997(69) ई सी आर 193 एस सी) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनुमोदन किया गया।

जुलाई 1995 से फरवरी 1997 तक की अवधि के दौरान एक बंधक भांडागार से निकासी की गयी लेमिनेटिड प्रेस बोर्ड शीटस के 33 परेषण उपशीर्ष 8546.90 की बजाय उपशीर्ष 4811.90 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए। इसके परिणामस्वरूप 6.46 लाख रूपए का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (दिसम्बर 1997) मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1999) कि कम उद्ग्रहण की उगाही के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

4.2 मशीनरी और पुर्जे

प्लाटर्स

कम्प्यूटर एडिड डिजायनिंग/ड्राईंग के डाटा को रिटन/विजुअल रूप में ट्रांसफार्म करने वाली डाटा प्रोसेसिंग मशीनों की आउटपुट यूनिटें होने के नाते 'प्लाटर' शीर्ष 84.71 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं।

1995-96 और 1997-98 के दौरान एयर कार्गो काम्पलैक्स, बंगलौर के माध्यम से आयातित 'ग्राफिक/पैन प्लाटर' के तीन परेषण 'आटोमेटिक ड्राफ्टिंग मशीनों' के रूप में शीर्ष 90.17 के अंतर्गत निर्धारित किए गए। इसके परिणामस्वरूप 13.13 लाख रूपए का कम उद्ग्रहण हुआ।

गलत वर्गीकरण के बताए जाने पर (जून से सितम्बर 1997) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की और एक आयातक से 8.84 लाख रूपये की वसूली सूचित की (दिसम्बर 1999)। शेष राशि की वसूली के विवरण प्रतीक्षित हैं।

4.3 अन्य मामले

मंत्रालय को सूचित गलत वर्गीकरण के 19 अन्य मामलों में 1.39 करोड़ रूपए के सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण अंतर्ग्रस्त था जिसमें से 12 मामलों, जिनमें 1.26 करोड़ रूपए अर्न्तग्रस्त थे और 8 मामलों में की गयी 1.18 करोड़ रूपए की वसूली को मंत्रालय/विभाग द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्वीकार किया गया:

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	उत्पाद के विवरण	आयातकों की संख्या	शीर्ष जहां वर्गीकरणीय था	शीर्ष जहां वर्गीकृत था	कम उद्ग्रहीत राशि	स्वीकार की गयी राशि	वसूल की गयी राशि
1.	सेटेलाईट मोडेमस	1	8525.20	8529.90	46.86	46.86	46.86
2.	पेजर्स	1	85.27	8525.20	44.85	44.85	44.85
3.	ट्रांसमिशन इक्विपमेंटस	1	84.83	8483.90	18.02	18.02	18.02
4.	पोलीयाल	1	3801.90	3907.20	4.23	4.23	--
5.	इन्स्ट्रूमेंट क्लस्टर	1	87.08	9029.90	3.27	--	--
6.	इन्स्टालेशन साफ्टवेयर फार आप्टीकल टाईम डूमेन रिफ्लेक्टोमीटर	1	9030.40	8524.99	3.05	3.05	3.05
7.	इलेक्ट्रानिक रिकार्डर	1	9030.81	9031.80	2.10	--	--
8.	वेव गाइड	1	83.07	8529.90	1.67	1.67	--
9.	सक्शन वाल्वस	1	8414.90	8481.80	1.55	--	--
10.	वीडियो कैमरा	1	8525.40	8525.20	1.45	1.45	1.45
11.	राडस, रोल्स आफ सिनटर्ड टगस्टन कारबाईड	1	8455.90	8455.30	1.36	--	--
12.	कारटरिज ड्राईवस	1	8473.30	8471.99	1.35	1.35	1.35
13	आटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीनें	1	84.71	8473.30	1.34	1.34	--
14.	कार्बन की बनी स्पेसर रिंग्स	1	68.15	8413.90	1.19	1.19	1.19
15.	सिलिकान की सर्फेस एक्टिव प्रीपरेशन	1	3402.90	39.10	1.18	--	--
16.	आटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन के लिए माइक्रोप्रोसेसर	1	8473.30	8542.19	1.13	--	--
17.	मास्टर अलाय कलर	1	71.06	74.05	1.08	1.08	1.08
18.	केसिस फार वाचिस	1	91.12	9114.90	0.82	0.82	--
19.	रिसीट प्रिंटर	2	84.70	84.71	2.76	--	--
	जोड़				139.26	125.91	117.85

अध्याय 5 : छूट के गलत प्रदान किए जाने के कारण कम उद्ग्रहण

छूटों के गलत प्रदान किए जाने के कारण कुल 35.73 करोड़ रूपए के शुल्कों का कम उद्ग्रहण मंत्रालय को बताया गया। कुछ निदर्शी मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:-

5.1 अन्त उपयोग का सत्यापन न किया जाना

अधिसूचना सं. 83/90-सी शु दिनांक 20 मार्च 1990 और 36/96-सी शु दिनांक 23 जुलाई 1996 में आयात करने के 6 महीने के अन्दर अंत उपयोग प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के अध्यधीन 'इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या इंडक्शन फर्नेस या हॉट ब्लास्ट कपोला में मेल्टिंग' में उपयोग के लिए या उपयोग के लिए एक इकाई को आपूर्ति के लिए अपेक्षित 'लोहे और इस्पात के मेल्टिंग स्क्रैप' के आयात पर शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गयी है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि मार्च से अगस्त 1995 के दौरान आयातकों द्वारा किए गए आयातों के लिए लेखापरीक्षा की तारीख (सितम्बर 1996/नवम्बर 1998) तक दो कमिश्नरियों में 188 मामलों में अधिसूचना में यथापेक्षित अन्त उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 26.13 करोड़ रूपए की राशि के सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (सितम्बर 1996/नवम्बर 1998) मामलों के सत्यापन पर मंत्रालय/विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 1997, अक्तूबर 1998 और जून/सितम्बर 1999) कि 153 मामलों में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा चुके थे। विभाग ने यह भी सूचित किया कि शेष 35 मामलों, जिनमें 1.38 करोड़ रूपए का शुल्क प्रभाव अन्तर्ग्रस्त था, में कम उद्ग्रहण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे थे/जारी किए गए थे और एक मामले में आयातक ने समय विस्तार का अनुरोध किया। मांग नोटिसों को जारी करने और विभेदक शुल्क के अवधारण में विलम्ब के परिणामस्वरूप उपरोक्त 35 मामलों में 85.19 लाख रूपए (फरवरी 1999 तक) के ब्याज की हानि हुई।

5.2 ई ओ यू को छूट का गलत प्रदान किया जाना

अधिसूचना सं. 13/81-सी शु दिनांक 9 फरवरी 1981, 95/93-सी शु दिनांक 2 मार्च 1993, 123/81 के.उ. दिनांक 2 जून 1981 और 1/95-के उ दिनांक 4 जनवरी 1995 माल के आयातों/देशी अधिप्राप्ति पर शुल्क से एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (ई ओ यू) को इस शर्त के अध्यधीन छूट प्रदान करती है कि ऐसे माल का जनवरी 1991 से दिसम्बर 1995 के बीच निर्यात के लिए माल के विनिर्माण/उत्पादन के संबंध में उपयोग किया जाता है।

क) चार ई ओ यू द्वारा माल, जो निर्यात के लिए थे, के विनिर्माण के लिए विभिन्न शुल्क योग्य माल का आयात किया गया/अधिप्राप्ति की गई। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (जनवरी से जुलाई 1998) कि वे अब तक कोई विनिर्माण करने संबंधी कार्यकलाप शुरू करने या कोई निर्यात करने में विफल रहे हैं। उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत माल पर छूट प्रदान किए गए 6.85 करोड़ रूपए की राशि का शुल्क ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (जनवरी से जुलाई 1998) विभाग ने बताया (मई से जुलाई 1999) कि एक मामले में अगस्त 1998 में 73.99 लाख रूपए के लिए एक मांग जारी की गयी थी और दूसरी इकाई, जहां डिबांडिंग चल रही थी, पर 1 लाख रूपए की शास्ति लगायी गयी थी। तीसरे मामले में इकाई ने 6 महीने के विस्तार की मांग की है। चौथे मामले में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1999)।

ख) तीन ई ओ यू ने बंगलौर कमिश्नरी के माध्यम से अप्रैल 1996 से जून 1997 के दौरान बिल्डिंग मेटीरियल/फिटिंग्स/फर्नीचर्स/सर्विलेंस सिस्टम/बिल्डिंग आटोमेशन इक्विपमेंटस /फायर फाइटिंग इक्विपमेंटस आयात/अधिप्राप्त किए। इन माल को उपरोक्त अधिसूचनाओं का लाभ प्रदान करते हुए शुल्क मुक्त निर्धारित किया गया हालांकि इन माल का निर्यात के लिए माल के विनिर्माण में उपयोग नहीं किया गया। छोड़ा गया शुल्क 1.25 करोड़ रूपए था।

बताए जाने पर (अप्रैल से अक्तूबर 1998) विभाग/मंत्रालय ने दो आयातकों से 1.23 करोड़ रूपए के लिए मांग की पुष्टि और तीसरे आयातक से 1.55 लाख रूपए की वसूली सूचित की (अक्तूबर 1998 से सितम्बर 1999)।

5.3 छूट अधिसूचना का गलत लागू करना

क) दिनांक 1 मार्च 1997 की अधिसूचना सं. 11/97-सी शु के अनुसार कम्प्यूटर साफ्टवेयर के आयात पर पूरे सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्रदान की गयी। छूट अधिसूचना "इन्फारमेशन टेकनोलाजी साफ्टवेयर " का उपयोग करने के लिए राईट के आयात को शामिल नहीं करती।

छह आयातकों द्वारा जून और नवम्बर 1997 के बीच एक एयर कार्गो काम्पलैक्स के माध्यम से आयातित "साफ्टवेयर लाइसेंसों के बारह परेषणों की पूर्वोक्त अधिसूचना का लाभ प्रदान करते हुए शुल्क मुक्त निकासी की गयी। इसके परिणामस्वरूप 73.32 लाख रूपए की राशि के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इसे जुलाई 1998 से नवम्बर 1998 के बीच बताया गया था।

विभाग ने उठाई गई वैसी ही एक आपत्ति के उत्तर में बताया कि चूंकि साफ्टवेयर का लाइसेंस के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता इसलिए अधिसूचना का लाभ लाइसेंस पर भी प्रदान करने योग्य था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकिः

i) लाइसेंस के अलग से और न कि साफ्टवेयर के साथ आयात किए जाने के कारण 'अन्य रिकार्डिड मेगनेटिक मीडिया ' के रूप में निर्धारण की आवश्यकता थी; और

ii) तदनुरूपी मद 'साफ्टवेयर' को सीमाशुल्क टैरिफ 1999-2000 में दो अलग मदों अर्थात् (क) इन्फारमेशन टेकनोलाजी साफ्टवेयर और (ख) डाकुमेंट आफ टाईटल कनवेयिंग राईट टू यूज इन्फारमेशन टेकनोलाजी साफ्टवेयर के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है इस प्रकार लेखापरीक्षा के आधार, कि बाद वाली मद को 'साफ्टवेयर ' के रूप में नहीं माना जा सकता को, प्रमाणित किया है।

ख) अधिसूचना सं. 63/88-सी शु दिनांक 1 मार्च 1998 के अनुसार सरकारी अस्पतालों और सरकार के नियंत्रण वाले अस्पतालों द्वारा आयातित चिकित्सा उपस्करों को **डी जी एच एस** से प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत करने के अध्यधीन सीमाशुल्क के मूल और अतिरिक्त उत्पादशुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

चिकित्सा उपस्करों के व्यापार में लगे एक आयातक को दिनांक 1 मार्च 1998 की अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क मुक्त "इंडोस्कोपिक इन्स्ट्रूमेंटस" का आयात (जनवरी 1997) करने के लिए अनुमत किया गया। तथापि **डी जी एच एस** का विहित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अनियमित छूट के परिणामस्वरूप 19.68 लाख रूपए के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

अनियमितता बताई गई थी (जून 1997)। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1999) ।

ग) दिनांक 2 जून 1998 की अधिसूचना सं. 23/98-सी शु के अंतर्गत "कम्प्यूटर साफ्टवेयर" को शुल्क से छूट थी। तथापि, डाटा प्रोसेसिंग और एक आटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन के साथ संयोजन में समाविष्ट करते हुए या कार्य करने के अलावा एक विनिर्दिष्ट कार्य का निष्पादन किसी भी मशीन के प्रचालन के लिए अपेक्षित सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं किया जाता है।

एक आयातक द्वारा अगस्त 1998 में दिल्ली कमिश्नरी के माध्यम से आयातित शटल रहित लेबल बुनाई मशीन सहित प्रयोग करने के लिए साफ्टवेयर की दिनांक 2 जून 1998 की अधिसूचना के अंतर्गत "कम्प्यूटर साफ्टवेयर" निःशुल्क शुल्क के रूप में निकासी की गई थी। शटल रहित लेबल बुनाई मशीन सहित प्रयोग के लिए एम यू सी ए डी मशीन के लिए सॉफ्टवेयर का एक परेषण होने के नाते आयातित माल भी छूट के योग्य नहीं था, इसके परिणामस्वरूप 8.03 लाख रूपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

अनियमितता विभाग को मार्च 1999 में बताई गई थी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1999)।

घ) दिनांक 16 मार्च 1995 की अधिसूचना सं. 64/95-सीमाशुल्क के अनुसार 'कम से कम 90 प्रतिशत की कम लोह अंतर्वस्तु एवं पारगम्यता सहित टफनड ग्लास शुल्क ' की रियायती दर योग्य था।

एक आयातक द्वारा चेन्नई (समुद्री) सीमा-शुल्क कमिश्नरी के माध्यम से आयतित (मार्च 1996) "सोलर ग्लास" को एक परेषण का दिनांक 16 मार्च 1995 की अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारण किया गया था। "सोलर ग्लास" "कम लोह अंतर्वस्तु सहित टफनड ग्लास" न होने के नाते अनुमत की गई छूट गलत थी जिसके परिणामस्वरूप 7.15 लाख रूपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 1996) विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (मई 1999) कि कम उगाही की वसूली करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। वसूली ब्यौरे प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 1999)।

ङ.) 'प्रसारण उपकरणों' के पुर्जे दिनांक 1 मार्च 1994 की छूट अधिसूचना सं. 79/94-सीमाशुल्क के अंतर्गत शुल्क की रियायती दर के योग्य थे।

मार्च 1995 में एक आयातक द्वारा कलकत्ता सीमाशुल्क गृह के माध्यम से आयातित फीडर केबल के 8000 मीटर के एक परेषण की दिनांक 1 मार्च 1994 की अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क की रियायती दर पर निकासी की गई थी। चूंकि केबल के लम्बाई में होने की वजह से दूर-संचार उपस्कर को पुर्जे के रूप में नहीं माना जा सका तथापि छूट के गलत दिये जाने के परिणामस्वरूप 6.85 लाख रूपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 1995), विभाग ने बताया कि छूट डी ओ टी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र कि आयातित माल पुर्जे थे के आधार पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट के अनुसार प्रदान की गई थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि "लम्बाई में केबल" "पुर्जो" के रूप में नहीं माना जा सकता। 'पुर्जा' केवल मुख्य मशीनरी/प्रणाली के संघटक को संकेत करेगा जो कि मशीनरी में उसी रूप में सज्जित किया जा सकता है। माल का वर्गीकरण उस स्थिति पर आधारित है जिस स्थिति में इसका आयात किया गया है और उसी रूप में निर्धारित किया जाना है। इस विचार को हाईड्रानोटिकस मेम्ब्रेन (भारत) लि.{1994(71)ई एल टी 711(अधिकरण)} के मामले में अधिकरण के निर्णय द्वारा भी समर्थित किया गया है।

5.4 अन्य मामलें

आठ अन्य मामले, जिनमें छूट के गलत दिये जाने पर 32.32 लाख रूपये के कम उद्ग्रहण को शामिल करते हुए आपत्तियां मंत्रालय को जारी की गई थी जिसमें से 30.76 लाख रूपए को शामिल करते हुए सात मामलें स्वीकार किये गये थे और निम्नलिखित तालिका के अनुसार 27.35 लाख रूपए की वसूली छः मामलों में मंत्रालय/विभाग द्वारा की गईः

(लाख रूपये में)

क्रम.सं.	उत्पाद जिन पर छूट दी गई	कम उद्ग्रहण की राशि	स्वीकार्य राशि	वसूल की गई राशि
1.	कलाई की घडियों के घटक	10.07	10.07	10.07
2.	तार स्वीचिंग उपकरण	9.81	9.81	9.81
3.	नाइलोन ट्रीकोट फलाक फेब्रिक	3.12	3.12	--
4.	रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाले कम्प्रेशर के पुर्जे	2.66	2.66	2.66
5.	चिकित्सा उपस्कर	2.14	2.14	2.14
6.	निकिल केडमियम बैटरीज	1.56	--	--
7.	ट्री एक/डाई एक	1.50	1.50	1.21
8.	एनेलाइजर	1.46	1.46	1.46
	जोड़	**32.32**	**30.76**	**27.35**

अध्याय 6 : अतिरिक्त शुल्क का अनुद्ग्रहण /कम उद्ग्रहण

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अनुसार कोई भी वस्तु जिसका भारत में आयात किया गया है उस पर भारत में उत्पादित वस्तु की तरह से उद्ग्राह्य कुछ समय के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर "अतिरिक्त शुल्क" भी दायी होगा।

48 मामलों में 1.66 करोड़ रूपये की राशि के अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण मंत्रालय को सूचित किया गया था जिसका वर्णन नीचे दिया गया है:

6.1 छूट के गलत दिये जाने के कारण अतिरिक्त शुल्क का उद्ग्रहण न होना

दिनांक 1 मार्च 1997 की अधिसूचना सं. 11/97-सीमाशुल्क चिकित्सा उपस्करों, इस प्रकार के उपस्करों के रखरखाव के लिए पुर्जे एवं फालतू पुर्जों पर सीमाशुल्क की रियायती दर और अतिरिक्त शुल्क की "शून्य" दर अनुमत करती हैं। अधिसूचना इंस लाभ को देने के लिए उपभोज्यों को शामिल नहीं करती है।

मई 1997 और मार्च 1998 के मध्य दो सीमाशुल्क गृह के माध्यम से एक निर्धारिती द्वारा आयातित दन्त्य देखभाल में प्रयोग करने हेतु विभिन्न उपभोज्य माल जैसे इम्प्रैशन मैटीरियल, दांत भरने के लिए और दन्त्य प्रयोग के लिए क्राउन एवं बेक्सीस इत्यादि के अठारह परेषण दिनांक 1 मार्च 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत लागू टैरिफ दरों के बजाय मूल सीमाशुल्क की रियायती दर और अतिरिक्त शुल्क की "शून्य" दर पर निर्धारित किये गये थे।

चूंकि ये मदें उपभोज्य थीं और अधिसूचना के अंतर्गत उपलब्ध छूट के लिए योग्य नहीं थीं, इसलिए 33.93 लाख रूपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर 1997 से दिसम्बर 1998), विभाग ने एक मामले में गलती को स्वीकार किया (जून 1997), लेकिन दूसरे मामले में बताया (फरवरी और सितम्बर 1998) कि अधिसूचना के अंतर्गत लाभ की बढ़ोतरी क्रम में थी क्योंकि आयातित माल अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयातित माल न तो पुर्जे थे न ही चिकित्सा उपस्करों के फालतू पुर्जे। इसके अलावा मुम्बई में नवम्बर 1996 में आयोजित कमिश्नर के सम्मेलन में भी निर्णय लिया गया कि विद्यमान अधिसूचना का लाभ 'उपभोज्य' तक विस्तारित नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिसूचना में विशिष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो। अधिसूचना अब तक संशोधित नहीं की गई है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1999)।

6.2 गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण

चार सीमाशुल्क गृह/कमिश्नरी के माध्यम से 23 निर्धारितियों द्वारा आयातित विभिन्न शुल्क योग्य माल के 35 परेषणों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 26.92 लाख रूपये के अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इनके सूचित किये जाने पर मंत्रालय/विभाग ने 21.73 लाख रूपये को शामिल करते हुए 31 परेषणों के मामलों में गलती को स्वीकार किया और 18.62 लाख रूपये की वसूली सूचित की। शेष चार मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1999)।

6.3 अतिरिक्त उत्पादशुल्क का कम उद्ग्रहण

क) दिनांक 1 अप्रैल 1997 की अधिसूचना सं. 30/97-सी शु वास्तविक प्रयोगकर्त्ता शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र (डी ई ई सी) योजना के अंतर्गत कच्ची सामग्री को सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और उत्पादशुल्क (सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्राह्य) के अतिरिक्त शुल्क से छूट प्रदान करती है। तथापि, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम 1957 के अंतर्गत उद्ग्राहय था जो कि इस छूट के अंतर्गत कवर नहीं होता है।

डी ई ई सी स्कीम के अंतर्गत जुलाई 1997 से मार्च 1998 के दौरान चार निर्धारितियों द्वारा आयातित "टायर कार्ड फेब्रिक" की सीमाशुल्क और प्रतिकारी शुल्क के भुगतान के बिना निकासी की गई। तथापि, अतिरिक्त उत्पादशुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत उद्ग्राह्य अतिरिक्त उत्पादशुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 13.68 लाख रूपये की राशि के अतिरिक्त उत्पादशुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (सितम्बर 1998) विभाग ने बताया कि मामले की जांच की जायेगी। आगे की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1999)।

ख) मूल उत्पादशुल्क के अतिरिक्त, 'अतिरिक्त उत्पादशुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957' के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त उत्पादशुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अध्याय 51, 52, 54, 55 और 59 के अन्तर्गत निधार्य माल पर उद्ग्राह्य है ।

केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ के अध्याय 51,52,54,55 और 59 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय विभिन्न शुल्क योग्य माल के 22 परेषण अक्तूबर 1996 से फरवरी 1998 के दौरान पाँच प्रमुख सीमाशुल्क गृहों के माध्यम से 16 निर्धारितियों द्वारा आयात किए गए थे जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाये बिना अथवा लागू दरों से भिन्न दरों पर उद्ग्रहीत पर निर्धारित किए गए, इसके परिणामस्वरूप 19.28 लाख रूपये के अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

बताये जाने पर (दिसम्बर 1997 से अगस्त 1998) विभाग/मंत्रालय ने दस मामलों में 5.26 लाख रूपये की वसूली सूचित की और अन्य आठ मामलों में 11.38 लाख रूपये की मांग की पुष्टि की। शेष चार मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (दिसम्बर 1999)।

6.4 गलत दरों के लागू किए जाने के कारण अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण

जनवरी 1996 और अगस्त 1998 के दौरान चार सीमाशुल्क गृहों के माध्यम से दस निर्धारितियों द्वारा आयातित शुल्क योग्य माल के पन्द्रह परेषण अतिरिक्त शुल्क को उद्ग्राह्य किए बिना निर्धारित किए गए अथवा लागू दरों से कम दरों पर उद्ग्राह्य किए गए। इसके परिणामस्वरूप 19.75 लाख रूपये की राशि के अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (जून 1996 से जनवरी 1999) मंत्रालय/विभाग ने 12 मामलों में आपत्ति स्वीकार की और 15.75 लाख रूपये (11 मामले) की वसूली और 0.59 लाख रूपये (एक मामला) की मांग जारी करने को सूचित किया (मई 1998 से सितम्बर 1999)। अन्य तीन मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 1999)।

6.5 अन्य मामले

14 अन्य मामलों में छूट के गलत प्रदान किए जाने अथवा गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 52.92 लाख रूपये के अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण मंत्रालय को सूचित किया गया जिसमें से 12 मामले, जिन में 49.06 लाख रूपये अन्तर्ग्रस्त थे, मंत्रालय/विभाग द्वारा स्वीकार किए गए और 10 मामलों में 33.44 लाख रूपए की वसूली की गयी जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	माल जिस पर कम उद्ग्रहण किया गया	अनियमितता	कम उद्गृहीत राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि
1.	रोलिंग मिलों के रोल्स	गलत वर्गीकरण	13.07	13.07	13.07
2.	टैक्सटाईल मशीनरी	छूट	11.88	11.88	11.88
3.	पेजर्स/रेडियो रिसीवर्स	गलत वर्गीकरण	5.26	5.26	5.26
4.	सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस	गलत वर्गीकरण	5.22	5.22	5.22
5.	कापार क्लैड लेमिनेट्स	छूट	2.83	2.83	2.83
6.	स्टील बैंड कन्वेयर	छूट	2.33	2.33	--
7.	स्नैप बटन	गलत वर्गीकरण	2.12	2.12	0.23
8.	हैंड वोवन टूवीड क्लाथ	छूट	2.07	--	--
9.	फ्लेक्सीबल कनेक्शन	गलत वर्गीकरण	1.79	--	--
10.	बल्क ड्रग	छूट	1.76	1.76	1.76
11.	नान एलाय स्टील बिलेट्स	छूट	1.33	1.33	1.33
12.	चिकित्सा के फालतू पुर्जे	छूट	1.25	1.25	1.25
13.	बल्क ड्रग	छूट	1.21	1.21	0.61
14.	बैटरी	छूट	0.80	0.80	--
	जोड़		52.92	49.06	43.44

अध्याय 7 : विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण

2 जून 1998 से समाविष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 क के अनुसार कोई वस्तु जिसका भारत में आयात किया जाता है विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क (एस ए डी) के लिए दायी होगी, जो भारत में उस वस्तु की बिक्री अथवा खरीद पर समय-समय पर उद्ग्राह्य बिक्री कर एवं स्थानीय उद्ग्रहणों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर लगाया जाएगा।

7.1 छूट अधिसूचना का अस्वीकार्य लाभ

अधिसूचना सं. 28/98-सी.शु. दिनांक 2 जून 1998 में उन सभी माल को विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस ए डी) के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की गयी जिन्हें सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अंतर्गत देशी माल पर उत्पादशुल्क के समतुल्य) से छूट प्रदान की गई थी। इस अधिसूचना का स्थान सीमाशुल्क टैरिफ में 'निःशुल्क दरों' और अतिरिक्त शुल्क से छूट प्राप्त के साथ विनिर्दिष्ट माल को शामिल करने के लिए 13 जून 1998 की अन्य अधिसूचना ने ले लिया। सीमाशुल्क टैरिफ में "सीमाशुल्क की निःशुल्क दरें" के साथ विनिर्दिष्ट माल और माल, जो छूट से भिन्न कारणों के लिए केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ में उत्पादशुल्क योग्य नहीं थे, को अधिसूचना संख्या 56/98-सी.शु. दिनांक 1 अगस्त 1998 के अंतर्गत केवल विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट प्राप्त थी।

कोचीन और कलकत्ता कमिश्नरियों के माध्यम से जून और जुलाई 1998 के दौरान अर्थात उपर्युक्त अधिसूचना के प्रभाव के पूर्व आयात किए गए सीमाशुल्क के अंतर्गत निःशुल्क दरों और केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ के अंतर्गत शून्य दरों के साथ ड्राइड फिश मील, कच्चे काजू, प्रॉन फीड, तरल अमोनिया, लकड़ी की लुगदी, रॉक फास्फेट, रॉ काटन आदि के 52 परेषणों को विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना निकासी की गई। इसके परिणामस्वरूप 2.33 करोड़ रूपये की राशि के शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर/दिसम्बर 1998 और मार्च 1999) समान आयातों की समीक्षा पर कोचीन कमिश्नरी ने 129 मामलों में 3.69 करोड़ रूपये की कुल राशि के लिए मांग नोटिस का जारी करना सूचित किया (मई 1999)। तथापि, कलकत्ता कमिश्नरी ने बताया (मार्च 1999) कि चूंकि आयातित माल पर सांविधिक रूप से शुल्क की निःशुल्क दरें लागू होती थीं इसलिए उन्हें एस ए डी से छूट प्राप्त थी।

कलकत्ता कमिश्नरी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उद्ग्राह्य शुल्क से छूट की टैरिफ में दिए गए "निशुल्क"/"शून्य" शुल्क के साथ तुलना नहीं की जा सकती। 1 अगस्त 1998 को अधिसूचना के एक संशोधन का जारी किया जाना, जिसमें पृथक रूप से यह जोड़ा गया हो "अथवा जिस पर उक्त

अतिरिक्त सीमाशुल्क की कोई राशि किसी कारण से देय नहीं है" लेखापरीक्षा तर्क को प्रमाणित करता है।

7.2 व्यापार के लिए छूट का दुरूपयोग

अधिसूचना सं. 29/98-सी शु. दिनांक 2 जून 1998 के अनुसार विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क आयातित उन सभी माल पर उद्ग्राह्य था जो व्यापार के लिए आयातित माल से भिन्न थे।

समुद्री/वायु सीमाशुल्क, मुम्बई के माध्यम से मई से सितम्बर 1998 के दौरान आयात किए गए विभिन्न माल के 164 परेषणों को आयातकों द्वारा दायर की गई घोषणा , कि माल व्यापार के लिए थे, पर विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के उद्ग्रहण से छूट अनुमत की गई थी। तथापि आयातकों ने यह सूचित करते हुए कि माल व्यापार के लिए नहीं थे, इन परेषणों पर केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 57 क के अंतर्गत मॉडवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप 1.37 करोड़ रूपये की राशि के 'एस ए डी' का अनुद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (अक्तूबर/दिसम्बर 1998) मंत्रालय/विभाग ने 4 परेषणों के संबंध में 12.56 लाख रूपये की वसूली और अन्य मामलों को शामिल करते हुए 1.24 करोड़ रूपये के लिए मांग का जारी किया जाना सूचित किया (मार्च/सितम्बर 1999)।

7.3 डी ई पी बी को तदनुरूपी डेबिट के बिना छूट

अधिसूचना सं. 34/97-सी शु दिनांक 7 अप्रैल 1997 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 34/98-सी शु दिनांक 13 जून 1998 के अनुसार एक "डी ई पी बी" लाइसेंसधारक सीमाशुल्क, अतिरिक्त एवं विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क रहित माल का आयात कर सकता था बशर्ते कि उस पर देय शुल्क "डी ई पी बी " बुक में डेबिट किए गए थे।

कलकत्ता और हैदराबाद कमिश्नरियों के माध्यम से जून-जुलाई 1998 में आयात किए गए विभिन्न माल के 41 परेषणों को "डी ई पी बी" को "एस ए डी" डेबिट किए बिना उसे भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 42.28 लाख रूपये की एस ए डी का अनुद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (अक्तूबर 1998 और मार्च 1999) विभाग ने 28 मामलों में अनियमितता स्वीकार की (अप्रैल 1999) । जिस से दो मामलों में 3.89 लाख रूपये की वसूली की गई शेष 13 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1999) ।

7.4 खुले समुद्र में बिक्री के रूप में आयातों के लिए अस्वीकार्य छूट

अधिसूचना सं. 34/98-सी शु दिनांक 13 जून 1998 में उन सभी माल पर विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क (एस ए डी) के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की गयी जो उसी रूप में 'खुले समुद्र में बिक्री' के रूप में माल से भिन्न बिक्री के लिए आयात किए गए थे।

खुले समुद्र में बिक्री आधार पर चार आयातकों द्वारा आयात किए गए माल के पांच परेषणों को अधिसूचना दिनांक 13 जून 1998 के अंतर्गत गलत रूप में छूट अनुमत की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 7.07 लाख रूपये की राशि के एस ए डी का अनुद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर/दिसम्बर 1998 और जनवरी/फरवरी 1999) विभाग ने दो परेषणों के संबंध में 2.80 लाख रूपये वसूल किए और तीसरे परेषण के लिए 0.32 लाख रूपये की मांग जारी की। शेष दो परेषणों के लिए विभाग ने बताया (जुलाई 1999) कि उसी रूप में बिक्री के लिए आयात किया गया था अतएव माल को एस ए डी से छूट प्रदान की गयी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि माल की 'खुले समुद्र में बिक्री' के माध्यम से अधिप्राप्ति की गई थी।

7.5 अन्य

इसी प्रकार मुम्बई (समुद्र) दिल्ली और चेन्नई कमिश्नरियों के माध्यम से मई से अक्तूबर 1998 के दौरान आयात किए गए माल के 6 अन्य परेषणों के संबंध में 14.08 लाख रूपये के विशेष अतिरिक्त शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर 1998 से जनवरी 1999) मंत्रालय/विभाग ने राशि की वसूली सूचित की (दिसम्बर 1998 और अगस्त 1999 के बीच) ।

अध्याय 8 : शुल्क छूट योजना

8.1 ई ओ यू की डिबांडिंग के समय माल के गलत निर्धारण पर शुल्क का कम उद्ग्रहण

अधिसूचना सं. 13/81-सी.शु. दिनांक 9 फरवरी 1981 और अधिसूचना संख्या 123/81-के.उ. दिनांक 2 जून 1981 के अनुसार एक शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (ई ओ यू) को उसमें निर्धारित शर्तों के अध्यधीन निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल और कच्ची सामग्री को शुल्क का भुगतान किए बिना आयात करने और देशी रूप से अधिप्राप्त करने के लिए अनुमत किया जा सकता था। निर्धारित अवधि के अन्दर निर्यात बाध्यता को पूरा करने की विफलता के कारण शुल्क और ब्याज की वसूली की जाएगी।

क) कोचीन कमिश्नरी के अंतर्गत एक ई ओ यू ने दस वर्षों की अवधि के लिए अपने उत्पाद के 100% का निर्यात करने की शर्त के साथ शुल्क का भुगतान किए बिना 1988 से 1990 के दौरान 9.20 करोड़ रूपए के मूल्य वाले पूंजीगत माल का आयात तथा देशी पूंजीगत माल अधिप्राप्त किया। चूंकि इकाई निर्यात बाध्यता को पूरा नहीं कर सकी इसलिए इसने डिबांडिंग के लिए आवेदन किया जिसे आयातित तथा देशी माल पर शुल्क के भुगतान की शर्त के अध्यधीन मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 18 जून 1998 को विभाग ने आयातित पूंजीगत माल के " ह्रासित मूल्य" और 30 जून 1998 तक ब्याज के आधार पर 1.12 करोड़ रूपए की एक मांग जारी की। इकाई ने पूंजीगत माल के ह्रासित मूल्य पर 31 मार्च 1997 को शुल्क के रूप में 90 लाख रूपए की राशि अदा की और उसे जून 1998 में की गयी मांग के प्रति समायोजित कर दिया गया। डिबांडिंग करते समय फर्म मूल्यह्रास के लाभ की हकदार नहीं थी चूंकि यह निर्यात बाध्यता को पूरा करने मे विफल रही। इसलिए 19.82 करोड़ रूपए की सीमा तक शुल्क और ब्याज की कम वसूली की गयी।

इसे बताए जाने पर (जुलाई 1998) विभाग ने बताया (दिसम्बर 1998) कि ह्रासित मूल्य पर परिकलित शुल्क बोर्ड के दिनांक 5 जून 1992 के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए सही प्रतीत होता था जिसमें निर्यात बाध्यता को पूरा करने वाली एक इकाई और निर्यात बाध्यता को पूरा न करने वाली एक इकाई के लिए समान अभिक्रिया दर्शायी गयी है।

यह मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड के पूर्वोक्त अनुदेश **आयात-निर्यात** नीति 1992-97 के प्रवर्तन के फलस्वरूप जारी किए गए और नीति से पहले किए गए आयातों पर लागू नहीं किए जा सकते थे।

ख) कोचीन कमिश्नरी की एक अन्य ई ओ यू को दस वर्ष की अवधि के लिए उनके उत्पाद का विनिर्माण और 100% का निर्यात करने की बाध्यता के साथ उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार शुल्क मुक्त 67.81 लाख रूपए मूल्य के पूंजीगत माल और 31.74 लाख रूपए मूल्य की कच्ची सामग्री का आयात करने के लिए अनुमति दी गयी।

ईकाई ने सितम्बर 1984 में उत्पादन शुरू किया और नवम्बर 1986 से 30.82 लाख रूपए मूल्य के निर्यात किए। इकाई को फरवरी 1989 में बंद कर दिया गया और कच्ची सामग्री और तैयार माल और पूंजीगत माल के ह्रासित मूल्य पर 16.02 लाख रूपए के शुल्क के संग्रहण पर डिबांड किया जाना (अप्रैल 1995) अनुमत किया गया। इकाई ने निर्यात बाध्यता पूरी नहीं की और प्राप्त किया गया मूल्यवर्धन 40 प्रतिशत के अनुबद्ध मूल्यवर्धन के प्रति (-) 216.7 प्रतिशत था जिसके लिए नवम्बर 1996 में 10 लाख रूपए की शास्ति लगायी गयी। इकाई डिबांडिंग के समय मूल्यह्रास के लाभ की हकदार नहीं थी चूंकि यह निर्यात बाध्यता को पूरा करने मे विफल रही थी। इसलिए 16.02 लाख रूपए के शुल्क का समायोजन करने के बाद 4.77 करोड़ रूपए की सीमा तक शुल्क और ब्याज की कम उगाही हुई।

इसे बताए जाने पर (जून 1997) विभाग ने बताया (जून/जुलाई 1997) कि अधिसूचना में स्पष्टतया निर्दिष्ट था कि पूंजीगत माल की निकासी ह्रासित मूल्य पर शुल्क के भुगतान पर अनुमत की जानी थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीमाशुल्क अधिसूचना के अंतर्गत प्रदान की गयी छूट सशर्त थी और पश्च आयात करने की शर्तों के पूरा न करने से आयात की तारीख को प्रचलित मूल्य पर आयात की तारीख से सीमाशुल्क की वसूली को आवश्यक बनाया।

8.2 आयातों की इकाई कीमत को बढ़ाकर अधिक आयात

कार्यविधि पुस्तिका 1992-97 के पैरा 109(घ) और 110 के अनुसार एक मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (वाबाल) के लिए एक आवेदनकर्ता निर्यातक को आयात की जाने वाली प्रत्येक मद की मात्रा और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर इसके सी आई एफ मूल्य को आवेदन फार्म (एच बी पी का परिशिष्ट XVII) में घोषित करना अपेक्षित था। ऐसे मामलों, जहां आयातक आवेदन में दाखिल की गई राशि के 20 प्रतिशत से अधिक वास्तविक आयातों की कीमतों में अंतरों का औचित्य बताने में विफल रहा, में वित्त मंत्रालय के परिपत्र संख्या 23/96 दिनांक 19 अप्रैल 1996 के अनुसार संबंधित सीमाशुल्क/लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपचारी कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी।

क) जनवरी 1994 से जून 1996 के दौरान जाइंट डी जी एफ , हैदराबाद द्वारा चार निर्यातकों को छह वाबाल जारी किए गए। लाइसेंस पुनः प्राप्त कर लिए गए और कानूनी वचनबद्धताएं (एल यू टी) फरवरी 1998 से सितम्बर 1998 के दौरान पूरी की गयीं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आवेदन में यथाघोषित प्रयोज्य सामग्री की इकाई कीमत में प्रयोज्य सामग्री की वास्तविक इकाई कीमत के संबंध में 36 से 132 प्रतिशत तक अन्तर था जिसके कारण 4.24 करोड़ रूपए तक कच्ची सामग्री का अधिक आयात हुआ। विभागीय प्राधिकारी एल यू टी करते समय इसका पता लगाने में विफल रहे और उपचारी कार्रवाई करने में विफल रहे। उनके द्वारा किए गए अधिक आयात पर 2.96 करोड़ रूपए का सीमाशुल्क 31 मार्च 1999 तक 1.16 करोड़ रूपए के ब्याज के अलावा वसूली योग्य था।

इसे मई 1999 में बताया गया था। विभाग से उत्तर अभी प्राप्त होना है (दिसम्बर 1999)।

ख) अहमदाबाद और विशाखापत्तनम में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दो निर्यातकों को मार्च 1994 और फरवरी 1996 में दो वाबाल जारी किए गए। वर्धित इकाई कीमत (61 से 2284 प्रतिशत) घोषित करके लाइसेंसधारी 43.10 लाख रूपए की शुल्क देयता, जो कि 31 मार्च 1998 तक 35.71 लाख रूपए के ब्याज के साथ आयातकों से वसूली योग्य है, के साथ 98.66 लाख रूपए मूल्य की अधिक कच्ची सामग्री का आयात कर सका।

इसे बताए जाने पर (जनवरी/सितम्बर 1998) वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 2000) कि प्रयोज्य सामग्री की लागत तथा तैयार उत्पादों की लागत का सत्यापन करने के लिए डी जी एफ टी के पास कोई स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध नहीं था।

ग) जाइंट डी जी एफ टी चेन्नई और नई दिल्ली द्वारा जून 1991 और मार्च 1996 के दौरान जारी किए गए नौ वाबाल के संबंध में पांच निर्यातकों को संवेदनशील मदों का प्रतिबंध न लगाने और आयातों की गलत संगणना के कारण 91.93 लाख रूपए तक अधिक कच्ची सामग्री का आयात करना अनुमत किया गया। इसके परिणामस्वरूप 14.05 लाख रूपए के ब्याज के साथ 26.38 लाख रूपए के सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 1997, नवम्बर 1998 और अप्रैल 1999) विभाग/लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने गलतियां स्वीकार कीं और 30.98 लाख रूपए (14.05 लाख रूपए के ब्याज, 6.14 लाख रूपए की राशि के " विशेष आयात लाइसेंस" (सिल) के अभ्यर्पण सहित) की वसूली सूचित की (नवम्बर 1997 से अक्तूबर 1999)।

8.3 निर्यात बाध्यता का पूरा न करना

क) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना

कार्यविधि पुस्तिका 1992-97 खंड I के पैरा 128 के अनुसार यदि निर्यात बाध्यता मात्रा तथा मूल्य दोनों के अनुसार पूरी नहीं की जाती तो मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (वाबाल) और गुणता आधारित अग्रिम लाइसेंस (क्यूबाल) दोनों के लाइसेंसधारक विनियमन के लिएः

i) सीमाशुल्क प्राधिकारी को अप्रयुक्त आयातित सामग्री पर प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ उस पर सीमाशुल्क अदा करेंगे;

ii) लाइसेंसिंग प्राधिकारी को एक राशि अदा करेंगे जो आयातित अप्रयुक्त सामग्री के सी आई एफ मूल्य के बराबर हो और एक राशि जो निर्यात बाध्यता में कमी के बराबर हो।

इसके अतिरिक्त यदि योजना के अंतर्गत एक शुल्क मुक्त लाइसेंसधारक लाइसेंस की किसी शर्तों का उल्लंघन करता है तो एफ टी (डी एंड आर) एक्ट, 1992 की धारा 11(2) के अनुसार शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

14.52 करोड़ रूपए की निर्धारित निर्यात बाध्यता के प्रति 8.93 करोड़ रूपए मूल्य के माल के शुल्क मुक्त आयातों के लिए मुम्बई और भोपाल में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जनवरी और दिसम्बर 1995 के बीच सात अग्रिम लाइसेंस (क्यूबाल) जारी किए गए थे। 8.63 करोड़ रूपए मूल्य के माल के आयात के प्रति लाइसेंसधारी लाइसेंसों की वैधता अवधि के अन्दर 4.26 करोड़ रूपए मूल्य के माल का निर्यात कर सका जिसके परिणामस्वरूप निर्यात बाध्यता में 8.70 करोड़ रूपए की कमी आई। लाइसेंसधारी (i) अप्रयुक्त आयातित सामग्री पर सीमाशुल्क के प्रति 1.77 करोड़ रूपए और उस पर 1.55 करोड़ रूपए का ब्याज (ii) अप्रयुक्त आयातों के बराबर राशि के रूप में 5.58 करोड़ रूपए और निर्यात बाध्यता में कमी के बराबर 8.70 करोड़ रूपए अदा करने के लिए दायी थे।

ये मामले सितम्बर 1998 से जनवरी 1999 के दौरान संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सीमाशुल्क गृहों को बताए गए थे। भोपाल में लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने सूचित किया (अक्तूबर 1999) कि लाइसेंसधारियों को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (दिसम्बर 1999)।

ख) ई ओ यू स्कीम

कार्यविधि पुस्तिका के पैरा 178 के साथ पठित **आयात-निर्यात** नीति 1992-97 के पैरा 98 में एक 100% ई ओ यू यूनिट से फार्म, जैसाकि कार्यविधि पुस्तिका के परिशिष्ट XXXI में दिया गया है, में विकास आयुक्त के पास एक कानूनी वचनबद्धता (एल यू टी) निष्पादित करने की अपेक्षा की गयी है। निर्यात बाध्यता पूरा करने की विफलता की स्थिति में इकाई निम्नलिखित अदा करने के लिए दायी होती हैः

(i) सीमाशुल्क की राशि जो संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, कच्ची सामग्री के घटकों और उपभोज्य सामग्री, जो इकाई द्वारा आयात के लिए अनुमत की जाए, की मदों पर सुसंगत समय पर उद्ग्राह्य होगी;
(ii) निर्णीत हर्जाने, जैसाकि विकास आयुक्त द्वारा निर्णय किया जाए और
(iii) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि पर 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज।

इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार (विकास विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 11(2) के अनुसार शास्ति भी उद्ग्राह्य है।

I) चेन्नई में एक शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई, जिसने जनवरी 1993 में वाणिज्यिक उत्पादन के पांच वर्ष पूरे कर लिए, निर्धारित 30 प्रतिशत के प्रति 14.12 प्रतिशत का मूल्यवर्धन प्राप्त कर सकी। उगाही किए गए निर्यातों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 109.03 करोड़ रूपए के

निर्धारित पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रति 92.27 करोड़ रूपए था जिसके परिणामस्वरूप निर्यात बाध्यता में 16.76 करोड़ रूपए की कमी रही। इकाई जनवरी 1998 तक आयातित और देशी रूप से अधिप्राप्त माल पर ब्याज (अक्तूबर 1998 तक) के साथ 48.45 करोड़ रूपए का सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क अदा करने के लिए दायी है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

इसे बताए जाने पर (नवम्बर 1998) विभाग ने तर्क दिया कि इकाई ने 36.67 प्रतिशत का मूल्य वर्धन प्राप्त किया इसलिए शुल्क, ब्याज की मांग करने और शास्ति लगाने का प्रश्न उत्पन्च नहीं हुआ।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (1991-92 से 1996-97) दिनांक 24 दिसम्बर 1997 के सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र के आधार पर लेखापरीक्षा में निकाला गया मूल्यवर्धन और निर्यात बाध्यता में कमी सही है। विभाग को तदनुसार सूचित किया गया था (मई 1999)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1999)।

II) मुम्बई में एक अन्य ई ओ यू यूनिट, जिसे 5 वर्ष के अंदर 83.93 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात बाध्यता पूरी करनी थी, ने सितम्बर 1994 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। मूल्यवर्धन 38.90 प्रतिशत पर नियत किया गया। इकाई जनवरी 1998 तक 24 प्रतिशत का मूल्यवर्धन प्राप्त कर सकी और उसके बाद इसने प्रचालन बंद कर दिया।

चूंकि इकाई निर्धारित मूल्यवर्धन पूरा नहीं कर सकी इसलिए 31 मार्च 1999 तक 22.79 करोड़ रूपए के ब्याज के साथ 31.41 करोड़ रूपए की राशि के आयातों/देशी माल पर छूट प्राप्त सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क इकाई से वसूली योग्य था। इसके अतिरिक्त फरवरी 1996 से अक्तूबर 1996 के बीच हुई 25.79 करोड़ रूपए की राशि की निर्यात प्राप्तियां उगाही किए बिना रहीं (फरवरी 1999)।

तथ्यों को जनवरी-मार्च 1999 के दौरान विकास आयुक्त और सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग की जानकारी में लाया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 1999)।

III) कोचीन में एक 100% ई ओ यू ने जनवरी 1986 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और मार्च 1997 तक मात्र 5.51 करोड़ रूपए मूल्य के माल का निर्यात किया और यह 10 वर्षों की अवधि में निर्धारित 78 प्रतिशत के प्रति 20 प्रतिशत का मूल्यवर्धन प्राप्त कर सकी। इकाई ने 8.64 करोड़ रूपए मूल्य वाले शुल्क मुक्त पूंजीगत माल और कच्ची सामग्री का आयात किया। मूल्यवर्धन के प्राप्त न होने के कारण शास्ति के उद्ग्रहण के अलावा पूंजीगत माल और कच्ची सामग्री पर छोड़े गए 4.47 करोड़ रूपए के शुल्क की वसूली की मांग की गयी।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 1998) विकास आयुक्त, सी ई पी जेड ने बताया (जून 1999) कि डी जी एफ टी ने मूल्यवर्धन के पूरा न किए जाने के लिए लाइसेंसधारी पर 25 लाख रूपए की शास्ति

लगायी और विभाग ने बताया (जुलाई 1999) कि इकाई की डिबांडिंग की जा रही है और इकाई से ब्याज सहित शुल्क की वसूली की जाएगी।

8.4 देशी टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में अनियमित बिक्री

ई ओ यू द्वारा देशी टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्री पश्च निर्यात हकदारी होती है और सभी डी टी ए निकासियां केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निर्धारित दरों पर केन्द्रीय उत्पादशुल्क के भुगतान के अध्यधीन होती हैं।

क) एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई ने अधिसूचना 8/97-के उ दिनांक 1 मार्च 1997 के अंतर्गत रियायती दर पर शुल्क अदा करते हुए डी टी ए में आयातित कच्ची सामग्री से विनिर्मित तैयार उत्पाद का एक भाग बेचा। अधिसूचना का लाभ केवल देशी कच्ची सामग्री से पूर्णतया उत्पादित माल के लिए उपलब्ध था। तात्कालिक मामले में इसके लागू किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पादशुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने 1 मार्च से 30 सितम्बर 1998 की अवधि के लिए निर्धारिती को 2.50 करोड़ रूपए के लिए एक कारण बताओ नोटिस (सितम्बर 1998) जारी किया। 1 मार्च 1997 से 28 फरवरी 1998 तक की अवधि के लिए 1.93 करोड़ रूपए के कम उद्ग्रहण के लिए कोई मांग नहीं की गयी।

इसे सितम्बर 1998 में विभाग को सूचित किया गया था। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 1999)।

ख) एक अन्य 100% ई ओ यू ने नीति के पैरा 121 के अंतर्गत ' माने गए निर्यातों' के रूप में निकासियों की गलत घोषणा करके शुल्क का भुगतान किए बिना 1994-95 के दौरान डी टी ए को तैयार माल की निकासी की।

इन माल पर शुल्क के अनुद्ग्रहण के बताए जाने पर (मई 1996) विभाग ने अनियमित निकासियां स्वीकार कीं और 31.05 लाख रूपए के लिए एक कारण बताओ नोटिस का जारी किया जाना सूचित किया (मार्च 1999)। वसूली के विवरण प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 1999)।

8.5 डी ई पी बी स्कीम के अंतर्गत अधिक क्रेडिट

फेरो क्रोम एंड फेरो मेंगनीज के संबंध में शुल्क हकदारी पासबुक (डी ई पी बी) योजना के अंतर्गत अनुज्ञेय क्रेडिट की दर को सार्वजनिक नोटिस संख्या 35 (पी एन) 1997-2002 के द्वारा 26 अगस्त 1997 से बढ़ा दिया गया।

एक डी ई पी बी लाइसेंसधारक ने अप्रैल और मई 1997 के दौरान 6.12 करोड़ रूपए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के ' हाई कार्बन फेरो क्रोम एंड हाई कार्बन फेरो मेंगनीज' का निर्यात किया जिस

पर 79.60 लाख रूपए का क्रेडिट अनुमत किया गया। तथापि निर्यातक निर्यात के समय प्रचलित पूर्व संशोधित दर पर 24.49 लाख रूपए के क्रेडिट का पात्र था। इसके परिणामस्वरूप 55.11 लाख रूपए का अधिक क्रेडिट रहा।

इसे बताए जाने पर (अगस्त-सितम्बर 1998) विभाग ने राशि की वसूली सूचित की (दिसम्बर 1998)।

अध्याय 9 : ध्यान देने योग्य अन्य विषय

9.1 तदर्थ छूट आदेश का दिया जाना

(क) नीति के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत शामिल न किए गए आयात

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) केन्द्र सरकार को यह अधिकार देती है कि यदि यह इस बात से संतुष्ट है कि किसी माल, जिस पर शुल्क उद्ग्राह्य है, ऐसे आदेश में बताये जाने वाली किसी अपवादात्मक स्वरूप की परिस्थितियों के अन्तर्गत शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है। मंत्रालय के अक्तूबर 1996 के आदेश में माननीय वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित आयातों की निम्नलिखित श्रेणी को निर्दिष्ट किया जिन्हें सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अन्तर्गत सीमा-शुल्क से छूट के लिए माना जायेगा।

(i) मिलिटरी हार्डवेअर और सॉफ्टवेयर मात्र से सम्बन्धित अथवा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अन्तर्गत आर एण्ड डी ईकाईयों के लिए भारत की रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए आयात।

(ii) केन्द्र/राज्य पुलिस संगठन द्वारा अपने बलों को सज्जित करने के लिए आयात।

(iii) धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा आयात, जो अपनी सारी सेवाएं निःशुल्क मुहैया कराते हैं और आयात अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं आदि में उपयोग के लिए अपेक्षित है।

(iv) संगठन द्वारा वे आयात जो उपहारों के स्वरूप के हैं और जिन्हें निःशुल्क कोई भी सेवा मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जारी किया जाना है।

(v) व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित वे आयात जो उन लोगों के उपचार अथवा सहायता के लिए हैं जो भयंकर बीमारियों से पीडित हों।

एक निजी फर्म द्वारा अरूणाचल प्रदेश में एक पैट्रो रसायनिक इकाई स्थापित करने के लिए अपेक्षित 54 करोड़ रुपये मूल्य के पूँजीगत माल, कच्ची सामग्री, घटकों आदि के आयात पर 10 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क, विशेष शुल्क और अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से तदर्थ छूट के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अन्तर्गत अनुमोदन मंत्रालय द्वारा नवम्बर 1997 में दिया गया था। एक राज्य सरकारी उपक्रम भी परियोजना के साथ सम्बद्ध बताया गया था। इसके कारण छोड़ा गया राजस्व मंत्रालय द्वारा 12 करोड़ रुपये निकाला गया था।

मंत्रालय की सुसंगत फाईलों की संवीक्षा से पता चला कि तदर्थ छूटें प्रदान करने के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों में एक अपवाद निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हुए किया गया।

(i) परियोजना उत्तर पूर्व में स्थापित की जा रही है।

(ii) यह पिछड़े क्षेत्रों में लाभदायक रोजगार उत्पन्न करेगी।

(iii) परियोजना में प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जायेगा जिसे इस समय बेकार प्रज्जवलित किया जा रहा है।

(iv) चूँकि परियोजना अधिसूचना सं. 55/97-सी.शु. दिनांक 13 जून 1997 में विस्तारित लाभों की हकदार है, इसलिए इसके जारी करने से पूर्व किये गये आयातों पर एक तदर्थ छूट आदेश जारी करके रियायतें प्रदान की जा सकती थी।

तथापि, अरूणाचल प्रदेश सरकार से लेखापरीक्षा पूछताछ से पता चला कि (i) इकाई आज तक स्थापित नहीं की गई थी। इसलिए छूट देने के लिए कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था। (ii) शुल्क छूट को प्राप्त करते हुए और छूट आदेश में यथानिर्दिष्ट कम्पनी द्वारा किये गये दावों के विपरीत राज्य उपक्रम ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी परियोजना में कोई इक्विटी भागीदारी अथवा सम्बद्धता नहीं थी। यह केवल एक निजी वाणिज्यिक इकाई थी।

इसलिए अपवाद करते हुए उल्लेख किये गए कारणों की वैधता संदिग्ध थी। इसके अतिरिक्त आयातों जो कि इसे लागू करने से पहले किये गये, को एक तदर्थ छूट (उपर्युक्त पैरा (iv)) के जारी करने के माध्यम से सामान्य छूट का लाभ विस्तारित करना गम्भीर निहितार्थ से भरा हुआ है।

इस संबंध में एक आंशिक छूट आदेश मंत्रालय द्वारा जुलाई 1996 में पहले ही आयातित 32,60,000/- अमरीकी डालर मूल्य वाले माल के लिए नवम्बर 1997 में तदर्थ छूट आदेश के तहत भी प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा पूछताछ से पता चला कि आदेश की वैधता, जो कि प्रारम्भ में 30 नवम्बर 1998 तक थी, को 30 जून 1999 तक बढ़ा दिया गया था। तथापि, परेषण की अभी तक निकासी नहीं की गई थी और फर्म ने दोबारा 30 नवम्बर, 1990 तक समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2000) कि उन्होंने अरूणाचल प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण माँगा है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि आयातकों द्वारा 30 नवम्बर 1999 तक की वृद्धि के लिए किया गया अनुरोध मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

(ख) एक वाणिज्यिक कार्य के लिए अभिप्रेत आयात

सीमाशुल्क अधिनियम, 1965 की धारा 25(2) में बताया गया है कि यदि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है तो यह प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा ऐसे आदेशों में बताये गये अपवादात्मक स्वरूप की परिस्थतियों के अन्तर्गत किसी माल, जिसपर शुल्क उद्ग्राह्य है, पर शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है। सरकारी नीति में भारत की रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए किए गए आयातों, धर्मार्थ संस्थाओं, जो मुफ्त सेवाएं मुहैया

कराते हैं, द्वारा आयातों और आयातों, जिनमें मुफ्त सेवाएं मुहैया करायी जाती हैं, के लिए इस शक्ति के उपयोग की परिकल्पना की गयी है।

सरकार ने कुल 1.51 एम एन अमरीकी डालर पर पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के क्रिकेट संघों द्वारा आयातित फ्लड लाइटिंग उपस्कर के संबंध में सीमा शुल्क के भुगतान से तदर्थ छूट के प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया (नवम्बर 1995)। अन्तर्ग्रस्त शुल्क 4.26 करोड़ रुपये था जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:

संघ का नाम	तदर्थ छूट आदेश सं. एवं तारीख	आयातित उपस्कर का मूल्य (एम एन अमरीकी डालर में)	अन्तर्ग्रस्त शुल्क (लाख रुपये में)
पंजाब क्रिकेट संघ	303 दिनांक 16.11.95	0.34	94.00
मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ	311 दिनांक 27.11.95	0.36	104.00
तमिलनाडु क्रिकेट संघ	338 दिनांक 21.12.95	0.80	228.00
जोड़		1.51	426.00

उपस्कर की विश्व कप 1996 के दिन-रात के मैचों का आयोजन करने के लिए आवश्यकता थी। तदर्थ छूट के लिए बताया गया आधार खेलों का विकास था। छूट आदेशों के खंडों में से एक खंड में अनुबद्ध था कि उपस्कर का किसी वाणिज्यिक प्रयोजनों, जो कुछ भी हो, के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

मंत्रालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का प्रकटन हुआ:

i) सरकार ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि विश्व कप टूर्नामेंट वाणिज्यिक तरीके से आयोजित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा पूछताछ में पता चला कि पाक-इंडो-लंका संयुक्त प्रबन्धन समिति (पी आई एल सी ओ एम) ने प्रायोजित फीस और टेलीकास्ट राईटस के रूप में कम से कम 84.35 करोड़ रुपए संगृहीत किए थे। वास्तव में इवेंट को आयोजित करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति को 5 मिलियन पौंड स्टर्लिंग का भुगतान करके प्राप्त किया गया था। आयकर प्राधिकारियों ने विश्व कप टूर्नामेंट से कुल प्राप्तियों का 300 करोड़ रुपए अनुमान लगाया था।

ii) बंगाल तथा पंजाब क्रिकेट संघों द्वारा विश्व कप के सम्बन्ध में उपस्कर के आयात पर शुल्क से छूट के लिए बी सी सी आई का अन्य अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था (फरवरी और मार्च 1996) कि बी सी सी आई के पास निधियों की कमी नहीं थी और कि कोई सार्वजनिक हित नहीं रहा था। यह निर्णय लिया गया कि अनुरोध को केवल तभी स्वीकार किया जा सकता था यदि बी सी सी आई अपने लेखाओं की सहायता से विपरीत को सिद्ध करें।

इससे प्रकट होता है कि नवम्बर 1995 में प्रदान किए गए कुल 4.26 करोड़ रुपए के सीमाशुल्क के भुगतान से छूट सरकारी नीति के अनुसरण में नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त क्रिकेट संघों ने एक वाणिज्यिक टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए

आयातित उपस्कर का उपयोग किया जिससे संस्वीकृति की शर्तों में से एक शर्त का उल्लंघन हुआ। इसलिए वे छूट प्राप्त सीमाशुल्क का भुगतान करने के लिए दायी थे।

9.2 भांडागारित माल की अनियमित निकासी/निकासी न करना

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 72 के अनुसार जहाँ कोई भी भांडागारित माल उस अवधि की समाप्ति पर भांडागार से नहीं हटाया गया है जिसके दौरान ऐसे माल को धारा 61 के अन्तर्गत एक भांडागार में रखने के लिए अनुमत किया जाता है, वहां ऐसे माल का मालिक ऐसे माल के संबंध में देय सभी शास्तियों, भाडा, ब्याज और अन्य प्रभारों सहित ऐसे माल पर प्रभार्य शुल्क की पूरी राशि अदा करेगा। मैसर्स केसोराम रेयान बनाम सीमा-शुल्क कलक्टर, कलकत्ता (1996(86)ई एल टी 464 (एस सी) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह न्यायनिर्णीत किया गया है कि "जहाँ माल को भांड़ागारण अवधि की समाप्त के पश्चात् निकासी करने के लिए अनुमत किया गया है वहां ऐसे माल का हटाया जाना 'अनुचित हटाए जाने' के रूप में माना जायेगा और भुगतान योग्य सीमा-शुल्क की दर उस तारीख जिस पर अनुमत भांड़ागारण अवधि समाप्त हो गई, को लागू दर पर होनी चाहिए।" यदि मालिक इस प्रकार माँगी गई राशि अदा करने में विफल हो जाता है तो भांड़ागारित माल को रोका जा सकता है और उचित अधिकारी द्वारा बेचा जा सकता है।

क) 65.57 करोड़ रुपये के राजस्व निहितार्थ के साथ विभिन्न माल के अर्थात मशीनरी, घटक 1987 से 1997 के दौरान भांडागारित और उनके पुर्जे, रसायन, इलैक्ट्रानिक मदें, बैटरियाँ, मुद्रित सर्किट बोर्ड आदि के 322 परेषण भांड़ागारण अवधि की समाप्ति के पश्चात निकासी किये बिना पड़े रहे जैसा कि आगे विवरण दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कमिश्नरी	आयातकों की संख्या	परेषणों की संख्या	भांडागारण वर्ष	अन्तर्ग्रस्त राजस्व
1.	चेन्नई	--	57	1987 से 1997	59.42
2.	विशाखापत्तनम	01	130	1992 से 1994	2.59
3.	हैदराबाद	33	135	1979 से 1996	3.56
	जोड़		322		65.57

विशाखापत्तनम कमिश्नरी के अन्तर्गत इकाई 18 मार्च 1996 को रूग्ण घोषित की गई थी और यह औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन ब्यूरो (बी आई एफ आर) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आई। विभाग ने आयातक द्वारा सीमा-शुल्क और देय ब्याज की द्योतक 2.59 करोड़ रुपये की राशि के प्राप्यों के निपटान के लिए सरकारी परिसमापक के पास एक दावा प्रस्तुत किया।

इनके बताये जाने पर (मई से जुलाई 1999), हैदराबाद कमिश्नरी ने बताया कि भांडागार में पड़े हुए माल के निपटान के लिए नोटिस जारी करके और एक समिति का गठन करके कार्रवाई की जा रही थी।

आगे की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1999)।

ख) विभिन्न शुल्क योग्य माल के ग्यारह परेषण भांड़ागारण अवधियों की समाप्ति की तारीखों पर प्रचलित दरों पर होने की बजाय निकासियों की तारीखों पर लागू दरों पर शुल्कों के भुगतान पर कलकत्ता कमिश्नरी के अन्तर्गत एक भांड़ागार से निकासी किये जाने हेतु अनुमत किये गये थे जिसके कारण 1.18 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई (73.33 लाख रुपये के ब्याज सहित)।

इसे बताये जाने पर (मई और सितम्बर 1998) विभाग ने एक परेषण के संबंध में 0.60 लाख रुपये की आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 1999)। दो परेषणों के संबंध में विभाग ने बताया कि माल की निकासी विस्तारित अवधि के अन्तर्गत की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि भांड़ागारण की अवधि एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं बढ़ाई गई थी।

आठ परेषणों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1999)।

9.3 निकासी न किया गया माल जिसकी बिक्री नहीं की गई

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के अन्तर्गत यदि आयातित माल की आयात की तारीख के 30 दिनों के अन्दर घरेलू खपत के लिए, भांडागारण अथवा लदान के लिए निकासी नहीं की जाती तो ऐसे निकासी न किये गये माल की बिक्री आयातकों को नोटिस देने के पश्चात् की जानी होती है।

अहमदाबाद और कोचीन कमिश्नरियों के अन्तर्गत दो बड़े पत्तनों में 1986 से 1997 के दौरान उतारे गये क्रमशः 4.32 करोड़ रुपये और 1.27 करोड़ रुपये मूल्य के माल बिक्री किए बिना निकासी न किए बिना पड़े हुए थे जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का अवरोधन हुआ।

अभिरक्षकों ओर विभाग को मामले के बारे में बताये जाने पर (अप्रैल 1998 और जनवरी 1999) विभाग (कोचीन कमिश्नरी) ने बताया (अगस्त 1998) कि 2.35 लाख रुपये मूल्य के माल की बिक्री कर दी गयी है और 61.75 लाख रुपये मूल्य के माल अपील के लिए लम्बित थे। पत्तरन न्यास के दोबारा सत्यापन से पता चला कि 62.74 लाख रुपये मूल्य के माल (अपील मामलों को छोड़कर) अभिरक्षक के पास निपटान हेतु लम्बित हेतु लम्बित थे (मई 1999) अहमदाबाद कमिश्नरी ने बताया (अगस्त 1999) कि 23 मार्च 1999 को आयोजित नीलामी में 1 करोड़ रुपये की एक बोली प्राप्त हुई थी जो कि विचाराधीन थी।

9.4 जब्त माल के निपटान में विलम्ब

बोर्ड के दिनांक 6 दिसम्बर 1968 के आदेश के अनुसार किसी भी वाहन, जो तस्करी किए गए माल के यातायात के रूप में प्रयोग करने पर पकड़ लिया जाता है, को अधिनिर्णय होने तक उचित सुरक्षा अपनाकर बांड के अन्तर्गत अनन्तिम रूप से छोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 115(2) के अनुसार जहाँ वाहन का माल को ढ़ोने के लिए अथवा यात्रियों द्वारा किराये पर लेने के लिए प्रयोग किया जाता है वहां मालिक को वाहन के जब्त करने

के बदले में भुगतान करने हेतु एक विकल्प दिया जा सकता है। जब्त होने पर, पूर्वोक्त धारा 126 के अनुसार वाहन केन्द्र सरकार के अधिकार में हो जायेगा।

क) मई 1990 और अक्तूबर 1996 के मध्य कलकत्ता कमिश्नरी द्वारा पकड़े गए चौबीस वाहनों को 2.31 लाख रुपये की नगद सुरक्षा के साथ 54.45 लाख रुपये के बांड प्राप्त करने के पश्चात अनन्तिम रूप से छोड़ दिया गया था। बाद में दिसम्बर 1994 और जनवरी 1998 के मध्य अधिनिर्णय होने पर, वाहनों के मालिकों को जब्त होने के बदले में कुल 7.99 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान करने पर वाहनों को छुड़ाने हेतु विकल्प दिए गए। न तो मालिकों ने जुर्माना अदा किया और न ही विभाग ने बांड के बारे में दबाव डाला अथवा सितम्बर 1998 तक छोड़े गये वाहनों पर कब्जा लेने के लिए कोई कार्रवाई की। इसके परिणामस्वरूप 52.14 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

अनियमितता सितम्बर 1998 में विभाग को बतायी गई थी; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 1999)।

ख) कलकत्ता कमिश्नरी द्वारा अगस्त 1972 और अक्तूबर 1994 के बीच 29.15 लाख रुपये मूल्य के 28 वाहनों को जब्त किया गया था। वाहनों के निपटान आदेश दिसम्बर 1988 और नवम्बर 1995 में पारित किए गए थे। इन वाहनों की बिक्री से मात्र 7 लाख रुपये प्राप्त हो सके। इस प्रकार इन वाहनों के निपटान में विलम्ब के परिणामस्वरूप 22.15 लाख रुपये के राजस्व की उगाही नहीं की गयी।

इसे बताये जाने पर (सितम्बर और अक्तूबर 1998) विभाग ने बताया (जुलाई 1999) कि वाहन के अंतिम निपटान से पहले दीर्घकालिक मुकदमेबाजी सहित औपचारिकताओं को पूरा करने में लम्बा समय लगता है जिसके परिणामस्वरूप वाहन विकृत हो गए।

9.5 जब्त माल का निपटान न किया जाना

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 (1) (क) के अनुसार केन्द्र सरकार को अधिसूचना संख्या 31/86-सी शु दिनांक 5 फरवरी 1986 में सूचीबद्ध किए गए जब्त माल की उनके नाशवान अथवा जोखिम स्वरूप, समय बीतने के साथ मूल्य में ह्रास, भांडारण स्थान के प्रतिबंधों और मूल्यवान स्वरूप आदि को ध्यान में रखते हुए बिक्री करने की शक्ति दी गई है।

कलकत्ता, अहमदाबाद और चेन्नई कमिश्नरियों में जुलाई 1989 और सितम्बर 1998 के बीच नाशवान अथवा जोखिम स्वरूप जैसे इलेक्ट्रानिक माल, दवाई रासायनिक आदि के विभिन्न माल के 174 परेषण जो जब्त/अधिहरित किए गए थे, दावा किए बिना पड़े रहे। अधिकांश माल अप्रचलित और बिक्री न करने योग्य हो गए थे। माल के निपटान न करने के परिणामस्वरूप 24.16 करोड़ रुपये के राजस्व का अवरोधन हुआ।

इसे बताये जाने पर (मई 1995 से अप्रैल 1999 के बीच) विभाग ने बताया (फरवरी/जुलाई 1999) कि 1.09 लाख रुपये मूल्य के माल 0.11 लाख रुपये में बिक्री किया गया और इलेक्ट्रानिक माल

जे पी सी द्वारा नियत की गई उच्च कीमतों के कारण बेचे नहीं जा सके और मदें लम्बे समय तक भांडारण से अप्रचलित हो गई थीं और अन्य माल के निपटान की प्रक्रिया चल रही थी।

9.6 जलयान भंडारों पर शुल्क की उगाही का न किया जाना

जलयान के चढ़ाने पर भंडारों पर शुल्क के संग्रहण के सम्बन्ध में दिनांक 22 जनवरी 1985 के बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार एक पोत के तटीय चालन में परिवर्तित करने पर आगम-पत्र को भरने, शुल्क के निर्धारण और इसके भुगतान की प्रक्रियाएं सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा भंडारों की मालसूची की तारीख से 15 दिनों की अवधि के अंदर पूरी की जानी चाहिए।

कलकत्ता और कोचीन कमिश्नरियों के अंतर्गत मई 1990 और जनवरी 1993 के बीच तटीय चालन में परिवर्तित किए जाने पर 23 पोत बोर्ड के दिनांक 22 जनवरी 1985 के अनुदेशों के उल्लंघन में शुल्क के विलम्बित निर्धारण के अध्यधीन थे। इस प्रकार निर्धारित शुल्क मार्च 1999 तक उगाही किए बिना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 1999 तक 1.35 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ 76.64 लाख रुपये के शुल्क की उगाही नहीं हुई।

इसे बताये जाने पर (जून 1993 और मार्च 1999) मंत्रालय ने तीन मामलों में 26.86 लाख रुपये की वसूली सूचित की (सितम्बर 1999) और बताया कि 20 मामलों में उगाही बकाया थी क्योंकि ये निर्णयाधीन थे।

9.7 विशेष सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण

गलत दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप बेंगलूर, कलकत्ता और मुम्बई कमिश्नरियों में कुल 1.21 करोड़ रुपये के माल के 23 परेषणों पर विशेष सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर विभाग ने 12 मामलों में 1.20 करोड़ रुपये की वसूली सूचित की। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1999)।

9.8 माँग की वसूली न करना

एक ई ओ यू द्वारा 1977 और 1981 के बीच सीमाशुल्क गृह के माध्यम से आयात किए गए और भांडागारित विभिन्न शुल्क योग्य माल के कई परेषण अधिकतम अनुज्ञेय अवधि के बाद भी भांडागार में पड़े रहे। यद्यपि 23.10 लाख रुपये की राशि के शुल्क की आयातक से माँग की गई थी (जून 1987) तथापि विभाग आज तक उसे वसूल करने में विफल रहा।

वसूली न करने के बताये जाने पर (जुलाई 1998) विभाग ने स्वीकार किया (अक्तूबर 1998) कि सितम्बर 1998 तक 1.15 करोड़ रुपये के शुल्क और ब्याज पार्टी से प्राप्य थे।

9.9 निर्यातित माल की बिक्री प्राप्तियों की उगाही न किये जाने के बावजूद फिरती की गैर वसूली न करना

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क फिरती नियमावली 1995 के नियम 16 क में प्रावधान है कि जहाँ फिरती की राशि निर्यातक को अदा की जाती है किन्तु ऐसे निर्यात माल के सम्बन्ध में बिक्री प्राप्तियाँ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अनुमत अवधि (छः महीने) के अंदर उगाही नहीं की जाती है वहां फिरती की वसूली की जायेगी।

कलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, गुजरात (प्रिव) और मुम्बई कमिश्नरियों के माध्यम से अक्तूबर 1992 और नवम्बर 1997 के बीच 97 निर्यातकों द्वारा विभिन्न माल के 574 परेषण निर्यात किए गए और यथा स्वीकार्य फिरती अदा की गयी। चूँकि निर्यातों की बिक्री प्राप्तियों की समय के भीतर उगाही नहीं की गई इसलिए निर्यातकों को अदा की गई फिरती ब्याज सहित वसूली योग्य थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 4.07 करोड़ रुपये की उगाही नहीं हुई।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर 1998 से जुलाई 1999) मंत्रालय/विभाग ने बताया (दिसम्बर 1998 से सितम्बर 1999) कि 34.43 लाख रुपये के बैंक उगाही प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए जिसके बाद 5.68 लाख रुपये की वसूली और 2.43 करोड़ रुपये के लिए माँग जारी की गयी।

9.10 माल की चोरी के कारण राजस्व की हानि

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 45(3) के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी आयातित माल की सीमाशुल्क क्षेत्र में उतराई के बाद उठाईगीरी होती है तब आयातित माल की अभिरक्षा करने वाला व्यक्ति ऐसे माल पर शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

1994 और 1998 के बीच कलकत्ता कमिश्नरी के अन्तर्गत एक सीमाशुल्क गोदाम से 28.79 लाख रुपये मूल्य के जब्त/अधिहरित माल की चोरी से कई अवसरों पर हानि हुई। शुल्क के भुगतान के लिए अभिरक्षक को दायी बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 28.79 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर (फरवरी 1999) विभाग ने बताया कि सभी हानियाँ चोरी से सम्बन्धित थीं जिसके लिए पुलिस विभाग के पास एफ आई आर दर्ज कराए गए थे।

9.11 अन्य मामले

17 मामलों में लेखापरीक्षा ने अनियमितताएँ बताई जिसमें 2.55 करोड़ रुपये अन्तर्ग्रस्त थे जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है। विभाग/मंत्रालय ने 16 मामलों में आपत्ति स्वीकार की (2.37 करोड़ रुपये का शुल्क प्रभाव) और इन मामलों में से 11 में 1.45 करोड़ रुपये की वसूली सूचित की।

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि
1.	भांडागारित माल के निपटान में विलम्ब के कारण शुल्क की कम उगाही	50.76	50.76	–
2.	गलत दर के कारण फिरती का अधिक भुगतान	32.90	31.12	27.51
3.	'एन्टी डम्पिंग ड्यूटी' का अनुद्ग्रहण	22.94	22.94	14.39
4.	सीमाशुल्क और ब्याज का अनुद्ग्रहण	22.30	22.30	22.30
5.	माल की विलम्बित निकासी के कारण ब्याज का अनुद्ग्रहण	22.18	22.18	22.18
6.	शुल्क के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज का अनुद्ग्रहण	20.91	14.71	9.78
7.	गलत वर्गीकरण के कारण फिरती का अधिक भुगतान	16.66	16.66	14.69
8.	विनिमय की गलत दर	11.74	10.33	7.95
9.	उपकर का अनुद्ग्रहण	9.73	7.19	4.78
10.	सेवाओं की लागत की कम वसूली	7.24	7.24	16.47*
11.	बन्धक माल की उठाईगीरी	7.20	7.20	--
12.	बैंक गारंटियों का वैधीकरण न करना	6.91	6.91	--
13.	माँग का न किया जाना	6.35	6.35	--
14.	माल के पुनः आयात पर शुल्क का अनुद्ग्रहण	6.00	--	--
15.	निर्धारण में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि	5.48	5.48	--
16.	भांडागारित माल की अनियमित निकासी	3.56	3.56	2.77
17.	प्रतिदाय का गलत प्रदान किया जाना	2.41	2.41	2.41
	जोड़	255.27	237.34	145.23

*** विभाग द्वारा समीक्षा किए गए ऐसे मामलों के सम्बन्ध में वसूलियां शामिल हैं।**

9.12 विविध

632 अन्य आपत्तियां, जिनमें 1.34 करोड़ रुपए का शुल्क अन्तर्ग्रस्त था, भी बताई गईं। विभाग ने सभी आपत्तियां स्वीकार की हैं और 96.87 लाख रुपए की राशि की वसूली सूचित की है।

सुनील बाहरी

(सुनील कुमार बाहरी)
प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)

नई दिल्ली
दिनांक

3 अप्रैल 2000

प्रतिहस्ताक्षरित

3 अप्रैल 2000

विजय कृष्ण शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

अनुबन्ध-I
निर्यात बाध्यता का पूरा न किया जाना
'शून्य निर्यात'
(देखें पैरा 2.7. क)

क्र. सं.	सीमाशुल्क गृह/कमिश्नरी	ई पी सी जी लाइसेंस सं. एवं तारीख	निर्धारित निर्यात बाध्यता (मिलि. अमरीकी डालर)	वसूली योग्य शुल्क (लाख रूपये में)	ब्याज (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	मुम्बई	2126277 ता. 21.6.90 को संशोधित 5.6.91	2.36	69.15	135.54
2.	कलकत्ता	2131002 ता. 15.9.93	20.13	327.14	295.22
3.	मुम्बई	2128047 ता. 28.6.91 को पृष्ठांकित 3.7.92	1.11	49.42	81.05
4.	हैदराबाद-I मुम्बई के द्वारा	2045174 ता. 23.4.90	3.75	74.58	109.63
5	हैदराबाद-I मुम्बई के द्वारा	2045529 ता. 16.4.91	4.16	136.21	210.38
6	हैदराबाद-I कलकत्ता के द्वारा	2101345 ता. 12.3.93	1.70	13.78	19.29
7.	हैदराबाद-III चेन्नै के द्वारा	2100248 ता. 4.7.92 को संशोधित 21.7.92	1.15	76.35	112.58
8.	चेन्नै (समुद्री)	2100700 ता. 27.8.92	0.82	62.72	91.71
9.	चेन्नै (समुद्री)	2130614 ता. 1.6.93	3.59	187.55	255.03
10	चेन्नै (वायु)	2130400 ता. 19.4.93	0.17	10.64	14.65
11.	चेन्नै (समुद्री)	2135091 ता. 17.3.94	0.92	16.43	19.80
12	कलकत्ता	2133276 ता. 15.6.94	0.51	37.17	39.03
13	वही	2132777 ता. 25.2.94	1.99	112.10	121.47
14	वही	2129448 ता. 29.4.92	*4.35	1.58	2.60
15	वही	2130768 ता. 30.6.93	10.46	163.60	195.78
16	वही	2130769 ता. 30.6.93	29.01	1029.30	1326.53
17	मुम्बई	2124982 ता. 3.4.89	2.26	110.00	191.40
18	वही	2100996 ता. 28.10.92	1.99	14.52	20.33
19	चेन्नै	2130243 ता. 17.2.93	8.50	149.70	218.56
20	नई दिल्ली	2131306 ता. 28.1.93	2.52	39.70	50.82
21	मुम्बई	2134877 ता. 28.12.93	4.75	42.12	53.08

22	वही	2130174 ता. 11.2.93	2.29	51.83	69.44
23	नई दिल्ली	2101266 ता. 17.12.92	108.09	120.79	166.68
24	वही	2130371 ता. 29.3.93	95.26	12.57	17.34
25	मुम्बई	2101125 ता. 6.11.92	2.45	64.51	92.89
26	नई दिल्ली	2100868 ता. 21.9.92	0.13	8.44	12.83
27	चेन्नै	210092 ता. 25.8.93	11.66	1.20	1.84
28	वही	2130462 ता. 3.5.93	43.16	172.03	244.28
29	मुम्बई	2131441 ता. 1.12.93	20.63	325.50	410.13
30	नई दिल्ली	2131345 ता. 6.12.93	1.26	75.23	72.23
31	कोचीन	2130464 ता. 4.5.93	0.04	1.04	1.25
		जोड़	391.17	3556.89	4653.39

* 4.31 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का औसत स्तर शामिल है

अनुबन्ध -II

उन मामलों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जिनमें निर्यात बाध्यता आयातों/लाइसेंस जारी करने की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई हैं

(आंशिक निर्यात मामले)

(देखें पैरा 2.7. ख)

क्र. सं.	सीमाशुल्क गृह/ कमिश्नरी का नाम	लाइसेंस संख्या एवं तारीख	निर्धारित कुल निर्यात बाध्यता (मि. अमरीकी डालर)	निर्यात बाध्यता की निर्धारित अवधि तक किए गए वास्तविक निर्यातों का कुल मूल्य (मि. अमरीकी डालर)	पूरी की गई निर्यात बाध्यता की प्रतिशतता	वसूली योग्य शुल्क की राशि (लाख रू. में)	ब्याज (लाख रू. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोचीन	2100249 ता. 21.7.92	1.56	0.34	21.86	27.87	32.26
2	वही	2127297 ता. 25.4.91	0.51	0.41	81.46	23.81	39.52
3	वही	2127628 ता. 8.3.91	4.94	2.57	51.99	27.08	44.88
4.	वही	2131490 ता. 23.12.93	7.76	1.14	14.67	376.90	560.43
5	मुम्बई	2126740 ता. 24.9.90	0.82	0.76	92.00	120.72	241.44
6	वही	2130428 ता. 21.4.93	8.13	1.79	22.00	140.75	143.75
7	मुम्बई	213470 ता. 6.7.92	1.17	0.78	66.72	54.16	81.23
8	वही	2134646 ता. 29.6.92	2.64	0.47	12.67	52.81	71.83
9	वही	2130420 ता. 20.4.93	3.65	2.34	64.15	42.75	45.32
10	वही	2101224 ता. 4.2.93	0.53	0.45	83.86	29.48	44.22
11	वही	2130380 ता. 30.3.93	1.66	1.05	63.00	16.50	22.77
12	वही	2131192 ता. 15.10.93	0.36	0.17	46.00	13.17	17.64
13	वही	2100699 ता.27.8.92	1.69	0.08	4.61	47.90	74.73
14	मुम्बई	2134747 ता.9.7.92	1.43	0.23	15.84	39.46	143.74
15	कलकत्ता	2044881 ता. 13.9.89 पृष्ठांकित 16.9.92	43.13	1.18	2.74	1180.88	1417.05
16	मुम्बई	2126259 ता. 24.5.90	3.41	0.14	4.10	118.03	205.37
17	मुम्बई	2129228 ता. 11.3.92	6.37	6.14	96.34	114.86	167.69
18	वही	2129459 ता. 1.5.92	4.87	0.85	17.50	69.06	93.93
19	मुम्बई	2134627 ता. 23.6.92	8.42	3.45	41.01	123.88	165.99
20	वही	2100406 ता.5.8.92	4.00	0.24	6.02	67.10	96.61
21	वही	2101307 ता. 23.12.92	4.03	3.15	78.03	81.09	118.38

22	वही	2130353 ता.24.3.93	17.65	11.28	63.89	313.69	432.89
23	वही	2130355 ता. 24.3.93	29.52	4.18	14.15	406.00	519.68
24	वही	2130202 ता. 12.2.93	2.47	0.85	34.26	50.65	60.78
25	वही	2130055 ता.7.1.93	15.62	5.63	36.05	197.58	288.47
26	मुम्बई	2134803 ता.22.12.93	21.15	15.85	74.95	170.09	204.11
27	वही	2130936 ता. 28.8.93	5.67	4.69	82.71	59.96	73.16
28	वही	2130902 ता. 16.8.93	13.07	8.98	68.70	359.57	388.34
29	वही	2134873 ता. 28.1.94	30.47	3.64	11.93	497.08	576.62
30	वही	2132860 ता.28.3.94	2.71	1.45	53.64	44.22	54.83
31	वही	2134827 ता. 3.1.94	11.34	9.46	83.40	163.33	199.27
32	वही	2128507 ता. 25.10.91	0.38	0.31	81.57	14.74	23.58
33	चेन्नै	2129103 ता. 6.11.92	7.35	4.93	67.05	157.86	202.06
34	चेन्नै	2127651 ता. 14.3.91	5.01	1.51	30.14	132.15	225.14
35	वही	2127949 ता. 26.6.91	31.88	20.65	64.76	55.61	95.22
36	चेन्नै (समुद्री)	2127294 ता. 22.4.91	8.59	4.35	49.31	372.64	681.40
37	कोयम्बटूर	2129190 ता. 28.1.92	29.62	23.86	80.57	394.53	574.60
38	चेन्नै (समुद्री)	2134675 ता.2.7.92	2.30	1.42	61.84	37.70	54.86
39	चेन्नै	2100954 ता. 12.10.92	5.73	1.00	17.40	159.93	238.39
40	चेन्नै (समुद्री)	2130627 ता. 4.6.93	0.75	0.15	20.52	12.25	13.42
41	चेन्नै	2130735 ता. 16.7.93	1.87	0.62	33.26	57.02	62.54
42	त्रिचि	2131404 ता. 19.11.93	14.79	5.93	40.12	103.28	121.77
43	चेन्नै (समुद्री)	2131304 ता. 22.11.93	1.02	0.26	25.82	10.83	13.31
44	कोयम्बटूर	2135011 ता. 2.2.94	1.07	0.22	20.40	18.99	21.25
45	चेन्नै (समुद्री)	2132756 ता. 16.2.94	2.09	0.76	36.35	12.26	14.51
46	चेन्नै (समुद्री)	2100383 ता. 31.7.92	1.30	0.13	9.69	19.22	27.88
47	वही	2101315 ता. 24.12.92	5.05	0.61	12.01	6.92	10.00
48	हैदराबाद-I	2130235 ता. 15.2.93	0.57	0.13	22.99	8.36	11.36
49	हैदराबाद-I	2129182 ता.27.1.92	0.10	0.01	12.62	7.63	12.34
50	गुन्टूर	2129211 ता. 14.2.92	1.20	0.24	20.30	30.83	47.63

51	गुन्टूर	2100998 ता. 23.10.92	2.38	0.40	16.56	65.93	90.99
52	विशाखापट्टनम	2126601 ता. 31.7.90	20.97	2.32	11.03	1144.18	1922.23
53	वही	2126741 ता. 24.9.92	5.24	0.50	9.53	668.98	1059.22
54	वही	2131068 ता. 30.8.93	1.53	0.23	14.99	77.86	94.93
55	हैदराबाद- III	2130154 ता.9.2.93	13.48	2.40	17.81	183.29	264.67
56	कलकत्ता	2130811 ता.28.7.93	0.19	0.03	13.51	9.89	12.56
57	वही	2131337 ता. 2.12.93	0.60	0.39	64.33	9.56	11.97
58	वही	2130598 ता. 13.5.93	5.03	2.38	47.23	28.04	38.36
59	वही	2134609 ता. 19.6.92	1.28	1.20	93.45	130.33	197.96
60	कलकत्ता	2129151 ता. 26.12.91	2.72	2.60	95.73	140.99	195.89
61	वही	2134655 ता. 29.6.92	23.54	2.20	9.33	160.36	210.26
62	वही	2134780 ता. 10.12.93	1.19	0.41	34.39	5.99	6.46
63	वही	2130853 ता. 27.7.93	10.15	8.46	83.32	294.61	389.37
64	नई दिल्ली	2101032 ता. 30.10.92	2.68	0.09	3.43	134.06	198.40
65	वही	213035 ता. 30.9.93	2.91	1.38	47.56	140.07	176.49
66	मुम्बई	2135098 ता.21.3.94	3.70	2.61	70.5	58.34	60.67
67	नई दिल्ली	2134856 ता. 14.1.94	7.59	0.26	3.5	134.69	167.02
68	वही	2134691 ता.3.7.92	1.61	0.66	41.0	82.00	121.36
69	चेन्नै	2130175 ता. 11.2.93	16.23	15.65	96.5	54.64	77.59
70	नई दिल्ली	2130985 ता. 13.9.93	145.99	2.01	1.37	31.24	36.24
71	मुम्बई	2127984 ता.9.5.91	20.96	1.78	8.48	137.49	225.49
72	वही	2129206 ता. 13.2.92	22.65	7.48	33.03	39.52	67.18
73	वही	2131145 ता. 15.6.92	10.63	5.78	54.42	74.27	90.61
74	नई दिल्ली	2130231 ता.15.2.93	2.33	1.28	54.91	74.55	56.66
75	मुम्बई	2134516 ता.1.6.92	6.33	4.26	27.81	140.25	182.33
76	वही	2100682 ता.26.8.92	8.97				
77	नई दिल्ली	2127854 ता.18.3.91	11.60	7.22	62.25	531.01	955.81
78	वही	2101129 ता. 6.11.92	3.65	2.82	77.43	79.47	116.03
		जोड़	**737.55**	**237.63**	**32.21**	**11274.79**	**16104.96**

अनुबन्ध-III

निर्यात बाध्यता की आंशिक पूर्ति:
पूंजीगत माल के आयात से पूर्व निर्यात पात्र नहीं
देखे पैरा 2.8 (क)

क्र. सं.	कमिश्नरी	ई पी सी जी लाइसेंस सं. और तारीख	अनुमानित निर्यात बाध्यता (मि.अमरीकी डालर)	प्राप्त निर्यात बाध्यता (मि.अमरीकी डालर)	वसूली योग्य शुल्क (लाख रू. में)	ब्याज (लाख रू. में)
1	हैदराबाद-III द्वारा मुम्बई	2130530 ता. 20.4.93	1.94	1.77	113.78	151.02
2	हैदराबाद-II ए सी सी हैदराबाद	2131175 ता. 15.10.93	0.16	0.17	10.95	13.81
3	मुम्बई	2130987 ता. 14.9.93	4.33	3.14	71.20	88.30
4	मुम्बई	2129177 ता. 20.1.92	2.10	1.94	27.64	35.38
5	वही	2128945 ता. 6.12.91	1.99	*1.99	80.93	124.63
6	कलकत्ता	2134717 ता. 7.7.92 2100225 ता. 16.7.92 2100229 ता. 17.7.92 2131202 ता. 19.10.93	6.15	5.79	74.04	104.88
7	नई दिल्ली	2131421 ता.25.11.93	2.89	6.26	46.95	53.52
	मुम्बई	2131423 ता.26.11.93	7.30		118.81	147.32
	नई दिल्ली	2131422 ता.26.11.93	4.60		84.09	85.78
	न्यू काण्डला	2131425 ता.26.11.93	0.32.		22.04	25.57
	जोड़		**31.78**	**21.06**	**650.43**	**830.21**

* पार्टी ने 27.12.94 को आयातित 25.77 लाख रू. मूल्य के पूंजीगत माल के संदर्भ में कोई निर्यात नहीं किया है।